

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 13.01.2025 से 19.01.2025

▶ वर्ष-42 ▶ अंक-03 ▶ मूल्य ₹ 10.00

/संक्षिप्त खबर/

किसानों को उपार्जित मूल्य की राशि समय पर मिले- मुख्यमंत्री भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में हो रहे धान उपार्जन कार्य की जानकारी प्राप्त करते हुये कहा कि किसानों को समय पर उपार्जित धान की राशि प्रदान की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक साढ़े पांच लाख से अधिक किसानों से 36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी जिलों में उपार्जन केन्द्रों पर संपन्न हो चुकी है। प्रदेश में लगभग 44 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान है। प्रदेश में धान का उपार्जन 23 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है। किसानों के खाते में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतर्गत की जा चुकी है।

प्रतिभावान छात्रों को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण- मुख्यमंत्री भोपाल, प्रदेश के समग्र विकास के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में सबका साथ-सबका विकास के लिये वाक्य को मूर्तरूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पहली बार प्रदेश में विमुक्त, युग्मन एवं अर्द्धयुग्मन समुदाय के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण के प्रबंध सुनिश्चित किये जा रहे हैं। इसके लिये 'बडी फॉर स्टडी' पोर्टल पर जिलों के विभागीय सहायक संचालकों के माध्यम से आवेदन कराये गये। इसके सकारात्मक परिणाम मिले और प्रशिक्षण के लिये 97 विद्यार्थियों का चयन किया गया। योजना के शिक्षा घटक के अंतर्गत विमुक्त, युग्मन एवं अर्द्धयुग्मन समुदाय के छात्र/छात्राओं को फ्री कॉपींग योजना 'बडी फॉर स्टडी' के माध्यम से इस वर्ष प्रथम बार संचालित की जा रही है।

भोपाल को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क बनाने की पहल शुरू
भोपाल, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भोपाल को साहित्य के क्षेत्र में नामित करने के प्रस्ताव पर मुल्ला रमजी भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में साहित्य, कला एवं हॉर्टिगेज से जुड़े विषय विशेषण शामिल हुए। विशेषज्ञों ने कहा कि यूनेस्को द्वारा भोपाल को लिस्टेड सिटी के रूप में घोषित करने के फैसले से साहित्य और साहित्यकारों को वैश्विक मंच मिलेगा। साथ ही भोपाल के शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी गति मिलेगी। यूनेस्को ने साहित्य के क्षेत्र में 39 देशों के 53 शहरों को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया है। पिछले वर्ष केवल के कोशिकोड शहर को यूनेस्को ने साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया था।

भीतर के पृष्ठों पर

- पिछला सप्ताह - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- चर्चा में - वर्तित वृत्तियों और घटनाओं का संक्षिप्त करने वाली खबरों की चर्चा
- खेल चर्चा - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- सामयिकी - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंस्कृत विभाग मध्यप्रदेश से सहाय)

मुख्यमंत्री ने 3 विभागों के 362 अधिकारियों-कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान

विकास की नई संभावनाओं के लिए प्रतिबद्धता के साथ अधिकारी, शासकीय सेवा में करें प्रवेश

- अधिकारी वही, जो जनहित के करें कार्य
- सायबर तहसील को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है मध्यप्रदेश।
- दुग्ध उत्पादन को 20 प्रतिशत और कृषि रकबे को बढ़ाना है लक्ष्य।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रवीन्द्र भवन में नव चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रवीन्द्र भवन में संपन्न हुए नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुये। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन और राजस्व विभाग के लिए चयनित 362 शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी वह है, जो जनहित में कार्य करे। इस उद्देश्य से शासकीय सेवा में प्रवेश करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं। मध्यप्रदेश का मंत्रि-मंडल भी परस्पर सहयोग से जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहा है। पद पर आने के बाद हमारे मन में अहंकार नहीं होगा, इस संकल्प के साथ, समाज हित और प्रदेश के विकास के लिए समर्पण होकर अपने दायित्व निर्वहन में आगे बढ़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माता-पिता सहित परिवार के सदस्यों की आशा, अपेक्षा और उनके सहयोग के परिणामस्वरूप ही यह उपलब्धि प्राप्त हुई है।

दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना है प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने प्रदेश के सभी जिलों में सायबर तहसील स्थापना

इन्हें प्रदान किये नियुक्ति पत्र

- 256 कृषि विस्तार अधिकारी,
- 70 सहायक पशु चिकित्सक
- 36 नायब तहसीलदार

सुविधा का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि नव चयनित अधिकारियों से यही अपेक्षा है कि वे अपनी प्रतिभा और समता को निरंतर बेहतर ढंग से विकास की नई संभावनाओं के लिए प्रतिबद्धता के साथ सेवा में प्रवेश करें। प्रदेश में कृषि के रकबे को अगले 5 साल में 48 लाख से एक करोड़ हेक्टेयर तक ले जाने का संकल्प है। इस उद्देश्य से प्रबंध बेहतर करने होंगे। राजस्व अधिकारियों की नियुक्तियां, कृषि और पशुपालन विभाग के अमल में विस्तार इसमें सहायक होगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि और पशु चिकित्सा की शिक्षा सुविधा का भी विस्तार किया जाएगा, इसमें नई शिक्षा नीति भी महत्वपूर्ण है।

की पहल की। यह तकनीक के उपयोग से नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। देश में दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है। हमारा लक्ष्य दुग्ध उत्पादन की क्षमता को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इससे देश के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में गौ-माता की बेहतर देखभाल के लिए गौ-शालाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल सहित सभी बड़े शहरों में 10-10 हजार क्षमता की गौ-शालाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों की आय बढ़ाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दुग्ध उत्पादन की है। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

स्व-रोज़गार और स्वावलंबन बनने महिला सशक्तिकरण के आधार

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, युवा शक्ति, किसान और नारी के जीवन में बदलाव लाने के लिए चारों मिशन पर कार्य कर रही है। विशेषकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में मकर संक्रांति पर्व पर एक वृहद कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्व-रोज़गार और स्वावलंबन से आर्थिक स्थिति में सुधार कर महिलाओं को सशक्त करना हमारा उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही लाइली बहनों को दिए जा रहे अनुदान की राशि में भी वृद्धि की गई थी। बहनों की स्थिति में उत्तरोत्तर उन्नति के उद्देश्य से उद्योग, स्वावलंबन और स्व-सहायता समूह की गतिविधियां जैसे आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। रेडीमेड फार्मेट्स सहित अन्य उद्योगों में महिला श्रम आधरित ऐसे कार्य आरंभ किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार के आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें बेहतर जीवन का अवसर प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश में इस प्रकार के उद्योग आरंभ किए जा चुके हैं, साथ ही गतिविधियों का और विस्तार किया जा रहा है।

समुद्र और निवेश संभावनाओं से परिपूर्ण है शहडोल

भोपाल, शहडोल जिले में समृद्ध खनिज संपदा, सांस्कृतिक विरासत और भौगोलिक स्थिति के चलते औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संधारण से परिपूर्ण इस क्षेत्र में अब औद्योगिक निवेश के नए दार खुलेंगे। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने

16 जनवरी को शहडोल में होने वाली 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्लेक्स की तैयारियों की समीक्षा बैठक में कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्लेक्स इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो क्षेत्रीय विकास के साथ औद्योगिक विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।

प्रमुख कोयला उत्पादक है शहडोल

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संपदा से भरपूर शहडोल जिला भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहां की भूमि फायर क्ले, मोहन गैस और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध है। सोहापुर कोयला फील्ड, जो एशिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है, उच्च उत्पादन और खनिज उद्योगों के लिए शहडोल को एग्रीनिक महत्व प्रदान करता है। यहां की नव संपदा, जैवविविधता और जैविक उत्पाद इसे वन आधरित उद्योगों और औषधीय उत्पादों के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान बनाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक उद्योग विकास को नई गति

प्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं और रोज़गार के अवसर भी

इंदौर, मध्यप्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह उद्योग का नया क्षेत्र है और इसका बड़ा बाजार है। इस उद्योग में रोजगार के भी बेहतर और बड़े अवसर हैं। प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए इसके दुष्प्रभाव को दूर कर सावधानी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में संपन्न हुए प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्टिक 2025 को संबोधित करते हुये कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एर्यूए और



नेट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। सम्मेलन में प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी 400 से अधिक कंपनियों और 2 हजार से अधिक प्रदर्शक शामिल हुये।

कोविड काल में प्लास्टिक ने सिद्ध की उपयोगिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक उद्योग विकास में पूरे मदद दी जाएगी। बदलते दौर में प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह जीवन उपयोगी भी है। प्लास्टिक ने अपनी उपयोगिता कोविड में साबित की है। यह जीवन रक्षक के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान पीपीई किट हो या मास्क आदि में प्लास्टिक का उपयोग हुआ है। जीवन में इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति दी जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए रीजनल स्तर पर इन्वेस्टर सफिट अयोजित की जा रही है। इसके बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। प्रदेश में अब तक 6 रीजनल इन्वेस्टर सफिट अयोजित हो चुकी है।



4 जनवरी

केंद्र सरकार ने लॉच किया 'बैंककट' पोर्टल

● केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल 'बैंककट' लॉन्च किया। यह ई-नीलामी के जरिए संसितियों बेचने में मदद करेगा। इन संसितियों में कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्लॉट, दुकानें, वाहनों के साथ कृषि और गैर-कृषि संसितियां शामिल हैं। पोर्टल के माध्यम से सरकारी बैंकों से ई-नीलामी वाली संसितियों की जानकारी जुटाई जाएगी। उद्योगवार और निशुद्धाकर तरह-तरह की संसितियां देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रॉपर्टी अनसरर संस्ते दायों पर मिलत जाते हैं, लेकिन कानून को इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है।

● कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते। ईपीएफओ ने देशभर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीएनबी) शुरू कर दी है। इससे पेंशन शुरू होने पर बैंक में स्थापन के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी और राशि तुरंत खाते में जमा हो जाएगी। सीपीएफओ के तहत पेंशनर के स्थान, बैंक या शाखा बदलने पर भी पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित नहीं करना पड़ेगा। इससे उन पेंशनर्स को लाभ होगा जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहभार चले जाते हैं।

5 जनवरी

मध्य प्रदेश में 189 नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता

● मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने सत्र 2024-25 के लिए बीएससी नर्सिंग



और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएफ) कोर्स संचालित करने वाले कॉलेजों को मान्यता जारी कर दी है। मान्यता केवल उन्हीं कॉलेजों को दी गई है, जिन्होंने सीबीआई की दोनों जांचों और हाईकोर्ट की समिति ने उपयुक्त पाया है। इसके तहत कुल 189 कॉलेजों को मान्यता दी गई है। इसमें बीएससी नर्सिंग के 157 कॉलेज हैं। इनमें 16 सरकारी कॉलेज हैं। इनमें करीब 7,864 सीट हैं। इसके अलावा जीएनएफ के लिए करीब 144 कॉलेजों को मान्यता जारी की गई है। इनमें 6,816 सीट हैं।

● मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए सत्र 2024-25 का एकेडमिक कैलेंडर जारी किया। एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल की प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा अगस्त 2025 में होगी। यूनिवर्सिटी परीक्षा सितंबर 2025

में होगी। सितंबर में ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसी तरह एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल की यूनिवर्सिटी परीक्षा अगस्त 2026 में और यूनिवर्सिटी परीक्षा सितंबर 2026 में होगी। थर्ड प्रोफेशनल पार्ट-1 की प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा अगस्त 2027 में और यूनिवर्सिटी परीक्षा भी सितंबर 2027 में होगी। वहीं एमबीबीएस थर्ड प्रोफेशनल पार्ट-2 की प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा दिसंबर 2028 में और फाइनल यूनिवर्सिटी परीक्षा मार्च 2029 में होगी। पीजी प्रोग्राम एमडी/एमएस के छात्रों को जुलाई 2025 तक सिनोपसिज जमा करनी होगी। वहीं थीसिस जून 2027 तक जमा करनी होगी। प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा अक्टूबर 2027 में और यूनिवर्सिटी परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2027 में होगी।

● बिहार-झारखंड के करीब 5000 बच्चों ब्रेल लिपि से परदाई कर रहे हैं। इस लिपि में अब तक कई ऐसे शब्द प्रचलन में हैं जिन्होंने सर्राई कर समझने में बच्चों को कठिनाई होती थी। इसके चलते इसमें संशोधन की मांग हो रही थी। ब्रेल लिपि दिवस पर उन कठिन शब्दों को टिटा दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इनकी जगह संशोधित शब्दों को जारी किया। ये शब्द बंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं की ब्रेल लिपि के प्रचलन में आ जाएंगे।

6 जनवरी

उच्च शिक्षा संस्थानों का दो चरण में होगा मूल्यांकन

● विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए



दो चरणों या ब्याचस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत एलजीबिलिटी क्वालिफायर और क्वालिफायर पैरामीटर शामिल हैं। इसी के आधार पर संस्थानों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। यह मूल्यांकन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनपीसी) 2020 के कार्यान्वयन के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत नेक के प्रेस से प्राप्त प्रेड विशेष अधिकार के लिए एक पैमाने के रूप में काम करेंगे। इसमें सभी के लिए अनिवार्य पहला चरण 'क्वालिफायर' रहेगा। इसके तहत इसमें ऐसे जरूरी बँचकाई होंगे जो किसी भी तरह के विशेषाधिकार के लिए संस्थान को प्राप्त बनाएँगे। इसके बाद दूसरे चरण में 'क्वालिफायर' प्रैमिटर शामिल किए गए हैं। इसमें उच्च शिक्षण संस्थान को पहले से तब पैरामीटर में जो पाइंट हासिल हुए हैं उसके हिसाब से ग्रांट और विशेषाधिकार का प्रावधान रहेगा। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस कॉलेज और सामान्य कॉलेजों के लिए न्यूनात्मक पैरामीटर भी दिया है। यानि किसे निम्न पैरामीटर पर विचार प्रितरात दिए जाएंगे, इसी के आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा।

● मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट पीजी काउंसिलिंग 2024 के लिए कट-ऑफ परसेंटाइल को कम किया।

मानदंड में सामान्य श्रेणी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार, 15 परसेंटाइल और उसके अधिक अंक प्राप्त करने पर, काउंसिलिंग में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार, 10 परसेंटाइल और उसके अधिक अंक प्राप्त करने पर, काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे।

7 जनवरी

मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जारी की एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट

● मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एमएनआरसी) ने सत्र 2024-25 के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग (जनरल नर्सिंग एवं जीएनएफ) एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों की संख्या 9,033 है। कॉलेजों की च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि कॉलेजों के अनुसूचित छात्रों को 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि प्रवेश के लिए उच्चता छात्रों को अवसर मिल सके।

● वाराणसी की तर्ज पर प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए बिहार से गुजरात के सीएनजी करीब 480 किलोमीटर गंगा नदी में केवल सीएनजी इंजन वाली बोट या क्रूज का परिचालन होगा। उत्तर प्रदेश के चौरासा बॉर्डर से लेकर कटिहार के मनिहार तक गंगा नदी में डीजल से चले वाली करीब 1000 से अधिक छोटे-बड़े बोट या क्रूज को सीएनजी में बदला जाएगा। बोट व क्रूज को सीएनजी की सप्लाई के लिए तैयार स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। पटना, भागलपुर, बक्सर, चौरासा बॉर्डर एचआर जोरों पर सीएनजी आपूर्ति के लिए तैयार हुआ सीएनजी स्टेशन नदी के किनारे हर सूर्य रहेगा। जरूरत पड़ने पर स्टेशन को दूसरे जगहों पर भी भेजा जाएगा।

8 जनवरी

अब नेट के बिना भी नर्सिंग के सहायक प्रोफेसर

● अब उच्च शिक्षण संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए विश्वविद्यालय



शिक्षा में

अनुदान आयोग (यूजीसी) की राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग (नेट) पास करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मदेव प्रधान ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में फेकर्टी रिक्तियों पर प्रोमोशन के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस जारी की हैं। अब पीएच.डी. किए अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्पाई कर सकेंगे। ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार, अब किसी उच्च शिक्षण संस्थान में वाइस चांसलर बनने के लिए अभ्यर्थी के पास 10 वर्ष के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। अपने फीलड के ऐसे एक्सपर्ट, जो वरिष्ठ स्तर पर काम करने का 10 वर्ष का अनुभव रखते हों और जिनका ट्रेक रिकॉर्ड अच्छा

हो, वे वाइस चांसलर के लिए आवेदन कर सकेंगे।

● सड़क हादसों के पीड़ितों को किसानों से इलाज मिलेगा। इसके तहत, पीडित दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अवधि के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये की राशि के इलाज के हकदार होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री निदिन गडकरी ने बताया कि यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाले सड़क हादसों पर लागू होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के समन्वय से इसका क्रियान्वयन होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार अस्पतालों की तर्ज पर वाणिज्यिक इमारतों के लिए काम के धंटे तब करने की नीति बनाने के लिए श्रम कानूनों का अध्ययन कर रही है।

9 जनवरी

एचएमपीवी मामलों की जांच के लिए बढ़ाई जायेगी प्रयोगशालाओं की संख्या

● भारत सरकार चीन में ह्यूमन मेटा-न्यूमोवायरस (एचएमपीवी) संक्रमण की खबरों पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से स्थिति की निगरानी की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से समर्थन पर अपडेट साझा करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा एचआईवातन एचएमपीवी मामलों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमएआर) पूरे वर्ष इसके स्थानों की निगरानी करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय की अध्यक्षता में एक संयुक्त निगरानी समूह की बैठक आयोजित की गई।

● भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर तारबंदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने इसकी जानकारी दी। बीएसएफ के ईस्टर्न कमांड के एडीजी रवि गांधी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मालदा

जिले के पास भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर तारबंदी का काम शुरू हो गया है। जमीन पर कभी-कभी कुछ मतभेद हो जाते हैं, जिन्हें बातचीवी के जरिए सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा बीएसएफ मुस्तेदी से सीमा सुरक्षा का कार्य कर रहा है। बांग्लादेश के साथ चल रहे विवादों को जल्द ही बांग्लादेशी सेना के साथ फ्लैग मीटिंग कर हल कर लिया जाएगा।

10 जनवरी

स्कूलों को पोर्टल पर देना होगा शिक्षकों और स्टाफ का ब्यौता

● केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बॉर्डर (सीबीईए) से संबंधित स्कूलों को आवश्यक दस्तावेज और शिक्षकों एवं स्टाफ की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। बॉर्डर ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर अनुमान लगाया जाएगा। नई दिल्ली में अजमेर, अजमेर, अजमेर दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, पंचकुला, देहरादून, भोपाल, पुणे, चेन्नई, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम आदि राज्यों के सभी स्कूलों को एक माह की मोहलत दी है। इसके बाद बॉर्डर कार्रवाई करेगा।

● मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी प्रश्न नीट-यूजी (नेशनल एलजीबिलिटी) कम एंटेस टैस्ट-अंडर ग्रेजुएट) में इस वर्ष बड़े बदलाव देख सकते हैं। यह प्रश्न जेहेई की तहत दो चरणों में ऑनलाइन तरीके से कराई जा सकती है। इसमें पहला स्तर प्राथमिक और दूसरा स्तर मध्य परीक्षा हो हो सकता है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नीट-यूजी को दो चरणों में करने को लेकर भीतर चर्चा चल रही है। जल्द ही इस पर निर्णय फलसा हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीई) में सुधार को लेकर इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. राधाकृष्णन की अगुआई में हाई पावर कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने नीट-यूजी के सहित कई परीक्षाओं में सुधार को लेकर कई अहम सुझाव एवं सिफारिश की हैं।

(स्रोत: संस्कृतियोग टैम डास संकलित कोटि: गुप्त से सवार)

एजेंसी देना है

मध्य प्रदेश का सत्ताधिकार प्रसार संचाल्य वाला साप्ताहिक समाचार पत्र



प्रदेश के छिन्दवाड़ा, धार, रतलाम, राजगढ़ एवं नीमच में एजेंसी नियुक्त करना है।

एजेंसी संबंधित कार्य के लिए कार्यालयीन समय में संपर्क करें

0755-2760006

प्रमुख आकर्षण

- सेंट्रियट की खबरें
- अज्ञ-ज्ञानविद्युत विषयों पर विशेषांश की रिपोर्टियां
- खरद जगत की उल्लेखनीय खबरें
- विज्ञान की बातें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- जयपुर-सवाई रामपुर और जयपुर-कोटा और जोधपुर की जानकारियां
- विज्ञान की बातें

रोजगार और निर्माण

40, पत्रकारिक केंद्र, अंतरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462001
फोन नंबर: 0755-2760006, 0755-2760006
www.mprnjournal.in
madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें प्रमुख बुक-डरलॉन्ग पर उपलब्ध

वर्ष 42, अंक 03

13.01.2025 से 19.01.2025

रोजगार और निर्माण

www.rojgaraurnirman.in

- ग्रंथ संचालक
- संपादक
- ग्रंथक
- प्रबंधक
- आकारणक
- वेबसाइट

- डॉ. सुराम खारे
- रचना फिलले
- बंधना चतुर्वेदी (विश्वानर एवं प्रसार)
- सुभाष चण्ड जोशी (सुझ)
- अविन्ध टोप्यो
- आचार्य राम

वार्षिक आवेदन के लिए रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोजगार और निर्माण, भोपाल के नाम बनाकर निम्ने लिखे पते पर भेजें :- रोजगार और निर्माण, मध्य प्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अंतरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462001 फोन-2760006, 2551330, 4281330, फेक्स-4228409, e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com रोजगार और निर्माण कार्यालय में गजर रिजत अना कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोजगार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनके सम्पादन की सहजता अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये म्यालवॉयलिंग अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोजगार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रचलन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

युवा शक्ति मिशन : समाज में बदलाव और युवाओं के सपनों को साकार करने की अनुकरणीय पहल

प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और रचनात्मक दिशा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन' का शुभारंभ किया है। यह मिशन स्वामी विवेकानंद के उस विचार से प्रेरित है जिसमें उन्होंने युवाओं को जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए अपने आंतरिक प्रकाश का अनुसरण करने का संदेश दिया था। भारत जो कि दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, अपनी कुल जनसंख्या का 27.3 प्रतिशत हिस्सा 15 से 29 वर्ष के युवाओं के रूप में समेटे हुए है। यह मिशन उन युवाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिससे वे अपने सामर्थ्य को पहचानकर जीवन की हर चुनौती का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'जान-दृष्टिकोण' (ध्यान, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति) और मध्यप्रदेश की 'युवा नीति-2023' को गीर्वाण में रखते हुए इस मिशन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक बनाने है। मिशन न केवल शाही क्षेत्रों के युवाओं के लिए है, बल्कि ग्रामीण, पिछड़े और आर्थिक-सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांग, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।

मिशन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे अपनी क्षमताओं और रुचियों का विकास कर सकें। इसके अंतर्गत युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने, उनकी कौशल दक्षताओं को बढ़ाने और उनकी ऊर्जा को समाज और देश की प्रगति में सकारात्मक रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मिशन के तहत शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सीएन राइज स्कूल और पीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की जाएगी। तकनीकी और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षण पद्धतियों को अधिक प्रभावशाली और आधुनिक बनाया जाएगा। मिशन में युवाओं के कौशल संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से रोजगार के लिए आवश्यक दक्षताओं का विकास किया जाएगा। धर्म्यन, कृषि और सेवा क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अलावा, युवाओं में उच्चमति को प्रोत्साहित करने और स्वस्थानि रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाएंगी। मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलु युवाओं को सामाजिक पहलुओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। उन्हें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बुद्धिमानों के खिलाफ जागरूकता और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस मिशन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न गतिविधियों और उनके प्रभावों का आकलन किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक पहल की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिससे इसकी सफलता सुनिश्चित की जा सके।

'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन' का शुभारंभ 12 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया। यह मिशन प्रदेश के युवाओं को उनके सपनों को साकार करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा।

मार्स सैमल प्रोप्राग में मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने धरती पर लायेगे नासा के वैज्ञानिक

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने मार्स सैमल प्रोप्राग तैयार किया है। यह प्रोप्राग मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने वापस धरती पर लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रोप्राग में मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिये दो चरणों में कार्य किया जायेगा। दोनों तरीकों में अंतर मुख्य रूप से तकनीकी का होगा। ऐसे में लागत और समय बहुत अलग हो, क्योंकि नासा के प्रशासक बिल नेल्सन के अनुसार दो सैमलिंग रॉकेटों की तैयारी से नासा अपने कार्यक्रमों की लागत और समय में कमी करेगा। इन नमूनों से मंगल ग्रह को बारीकी से समझने में सहायता होगी साथ ही पृथ्वी के जीवन को भी समझा जा सकेगा। फिनलैंड नासा के वैज्ञानिकों ने एक ही तरीके से कार्य करने की योजना पर निर्णय लिया है। यह कार्य कर और तेजी से किया जायेगा इसका अंतिम फैसला वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति करेंगे।

वैज्ञानिकों के अनुसार सितंबर 2024 में नासा ने 11 अध्ययनों को स्वीकार किया जिसमें यह बताया गया कि मंगल से पृथ्वी पर नमूने लाने का सबसे अच्छा तरीका मार्स सैमल रिटर्न प्रोप्राग है। इसके लिए मार्स सैमल रिटर्न स्प्रेडिजिंक लिम्बू टिम को इसके अध्ययन का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई और टीम द्वारा जारी अनुसंधानों के आधार पर कार्य आरंभ किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार टीम की सदस्य मंगल ग्रह के अंदर प्रवेश कर उसकी सहाय पर उतरेगे यह कार्य स्वर्हई केन पब्लिक लिंक्डिन लिम्बू टिम को इसके अध्ययन का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई और टीम द्वारा जारी अनुसंधानों के आधार पर कार्य आरंभ किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार टीम की सदस्य मंगल ग्रह के अंदर प्रवेश कर उसकी सहाय पर उतरेगे यह कार्य स्वर्हई केन पब्लिक लिंक्डिन लिम्बू टिम को इसके अध्ययन का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई और टीम द्वारा जारी अनुसंधानों के आधार पर कार्य आरंभ किया गया।

- विकास तिवारी (लेखक, प्रतिनिधी परिषदाओं से जुड़े विद्यार्थी पर लेखन करते हैं)

मध्यप्रदेश में आरंभ हुए दो नवाचार

युवाओं के लिये 'पार्थ' और 'युवा प्रेरक अभियान' का शुभारंभ

मध्यप्रदेश को भारत का विकसित प्रांत बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिये दो नवाचार आरंभ करने की घोषणा की है। इनमें एक योजना का नाम 'पार्थ' है, जिसके अंतर्गत युवाओं को पुलिस और पैप मिलिट्री प्रशिक्षण दिया जायेगा और दूसरी योजना का नाम 'युवा प्रेरक अभियान' है। इसके माध्यम से युवाओं को वर्तमान की व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मानसिक रूप से सशक्त बनाने का अभियान है।

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार युवाओं के विकास और सशक्त बनाने को प्राथमिकता देकर योजनाएं बना रही हैं। इसमें सभी प्रकार की योजनाएं हैं। रोजगारमूलक और ब्यक्तित्व विकास की भी मध्यप्रदेश सरकार युवाओं के लिये कोई उत्सव आयोजन करती है तो उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन या केवल उत्सव नहीं होता। वह 'मोटिवेशनल' होता है। इसी कड़ी में भोपाल के टी.टी.नर स्टडीयर्स में मध्यप्रदेश का तीरा विद्यार्थी युवा उत्सव संभूत हुआ, जिसमें मध्यप्रदेश के कोने-कोने से आये युवाओं में प्रथम प्रतिभा का प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन दोनों नवाचारों की घोषणा की। भारत को दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। भारत की जनसंख्या में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की संख्या 27.3 प्रतिशत है। युवाओं की इतनी जनसंख्या दुनिया के किसी भी देश में नहीं। यदि भारत के युवाओं की क्षमता के समग्र विकास का अवसर मिले तो भारत को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनने से रोक नहीं सकता। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकास मंच 'GYAN का समान' में परिस, किसान और महिला के साथ युवा हैं। मध्यप्रदेश सरकार में डॉ. मोहन यादव सरकार पहले दिन से मोदी जी के इसी मंच के अनुसूच कार्य कर रही हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश के युवाओं की सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिये अनेक प्रयोग किये हैं और उन्हीं के अनुसूच ये दोनों नवाचार हैं। इन नवाचारों के अंतर्गत मध्यप्रदेश के युवाओं को शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण का ऐसा प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे वे पुलिस, सेना तथा अन्य क्षेत्रों में नियुक्ति के लिये सशक्त बन सकें और यदि इन नियुक्ति में उन्हें अवसर नहीं मिल पाता तो ये स्वयं सशक्त होकर अपनी आत्मनिर्भरता की राह पर चल सकें। इन दोनों नवाचारों के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार दो योजनाएं आरंभ करने जा रही हैं। एक योजना 'PARTH' पाथ है और दूसरी योजना का नाम 'MPYP' है। पहली योजना 'पार्थ' के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को पुलिस, सेना एवं अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति के लिये नये मार्ग खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया। योजना का 'पार्थ' नाम भी अपना महत्व रखता है। इस नाम पार्थ को यदु अर्जुनी शब्दवली 'PARTH' से समझेंगे तो योजना का पूरा नाम 'Police Army Recruitment Training & Hunar' है। इस नाम का संक्षिप्तकरण PARTH (पार्थ) है। पार्थ का हिन्दी अर्थ भी महत्वपूर्ण है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पांच कहरक ही संबोधित किया था। पार्थ का संबोधन एवं धनुर्धर के लिये किया जाता है, जो अपने लक्ष्य को सटीक भेदता है। अर्जुन का निशाना कभी नहीं चूका था। अर्जुन ने अपने जीवन में जो भी कार्य किये लक्ष्य निर्धारित

करके ही किये। इसलिये भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 'विकास के साथ विरासत' सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मध्यप्रदेश के युवा भी अर्जुन की भांति अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ें। यह भी संप्रथम होगा जब युवा पीढ़ी को अपनी विकास यात्रा के साथ विरासत की गरिमा का भान भी हो। इसलिए मध्यप्रदेश सरकार की विकास योजनाओं में विकास के साथ विरासत हामिले की झलक भी है। इस योजना का हिन्दी में 'पार्थ' नाम और उद्देश्य युवाओं को इतना संतुष्टपरील बनाना है, जिससे वे स्वयं को सशक्त बनाने अपना जीवन सफल बना सकें। अपने सामने विकल्प का मार्ग हो और वे कभी असफल न हों। इन दोनों नवाचारों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा। योजना में प्रशिक्षण के लिये पहले प्रतिभायोग का चयन होगा, फिर चयनित प्रयोगियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के लिए चयनित युवा को प्रेरक देना होगा। पाथ योजना में चयन और शुकुलिका का केन्द्र संभाग स्तर पर होगा। इसके लिये संग्णायी मुख्यालय अथवा संभाग स्तर पर चयनित कोई अन्य स्थल जहां स्टैडियम अथवा अन्य सुविध्य मैदान जैसी सुविधा हो। इस योजना में अधिक से अधिक युवा सहभागी बन सकें। इसके लिये मध्यप्रदेश सरकार युवा पोर्टल बनाये जा रही हैं। मध्यप्रदेश के संस्कृत युवा इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकेंगे। पाथ योजना का समन्वय और संचालन मध्यप्रदेश का युवा एवं खेल मंत्रालय करेगा। पाथ योजना के साथ दूसरे नवाचार की योजना MPYP है। इसका पूरा नाम मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना का शुभारंभ भी 8 जनवरी, 2025 को किया। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को सकारात्मक एवं समन्वयक विचारों से परिपक्व किया जायेगा ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त हो सकें। युवाओं में शारीरिक ही नहीं मानसिक क्षमता भी असीम होती है। आवश्यकता युवाओं की क्षमता को विकास के अवसर देने की है। इस योजना का समन्वय मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभाग समन्वय करेंगे।

मध्यप्रदेश सरकार के ये दोनों नवाचार का उद्देश्य प्रचामनीय श्री नरेन्द्र मोदी के उस लक्ष्य को पूरा करना है जो उन्होंने 2047 तक भारत को संसार के विकसित राष्ट्रों में अग्रणी बनाने के लिये निर्धारित किया है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होगी। यदि युवा सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं, रोजगार से लगे हैं तो भारत को समृद्ध बनने से कोई डंक नहीं सकता। भारत की गणना दुनिया के युवा देशों में होती है। भारत की कुल जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत 27.3 है। मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रांत है। यदि हृदय स्वस्थ और समृद्ध है तो शारी भी स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रकृति के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही अपनी युवा कल्याण की योजनाएं बना रहे हैं। इन दोनों नवाचारों से पहले भी उन्होंने दो नये प्रयोग किये हैं। मध्यप्रदेश सरकार पूरे देश में पहली एडमिंती सरकार है जिससे सरकारी नौकरियों में पंथी के लिये कैलेण्डर जारी किया। इस कैलेण्डर के अनुसार आगले पांच सालों में सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग ढाढ़ लाख युवाओं की भर्ती होगी। अर्जुन वर्ष 2025 में एक लाख युवाओं को शासकीय नौकरी देने की योजना है, इस पंथी के लिये प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। यह कैलेण्डर जारी करने से

भर्ती प्रक्रिया में निकायों एवं बजट आदि की स्वीकृति लेने की औपचारिकता में होने वाला विलंब ब्रेकेग और भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकेगी। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कार्य कर रही मध्यप्रदेश सरकार ने दूसरी बड़ी पहल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करने की है। इससे प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऑथोगिक विकसित होंगे। इससे उस क्षेत्र के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये रोजगार प्रत्यक्ष भी होंगे और प्रोथक्ष भी। कुछ युवाओं को इन उद्योगों में सीधा रोजगार मिल सकेगा जबकि कुछ इन उद्योगों के सहयोगी के रूप में स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे। अब इसी दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये दो नवाचार आरंभ करने की घोषणा की है। डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश को इतना विकसित और समृद्ध बनायाना चाहते हैं जो भारत को दुनिया में सर्वप्रथम राष्ट्र बनाने में अपनी आभारपूर्व भूमिका निभा सके। इसीलिए इस सरकार की योजनाओं में युवा हित को प्राथमिकता दी है। युवा रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिये आरंभ इन दोनों नवाचारों का उद्देश्य भी वही है। इन दोनों नवाचारों से एक ओर युवा पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल में नौकरी के पात्र होंगे वहीं उनमें शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण के साथ सर्वोत्तम शक्ति एवं आत्मनिर्भरता की वृद्धि भी होगी। यह मध्यप्रदेश सरकार का युवाओं के प्रोत्साहन में बनाई गई नीतियां हैं। ही कि मध्यप्रदेश का युवा आत्मनिर्भरता की ओर बह रहा है। मध्यप्रदेश के युवा देशव्यापी प्रतियोगी परिषदाओं और खेल कूद विधाओं सहित नृत्य, वादन, भाषण, साहित्य विधाओं में भी अपना स्थान बना रहे हैं। मध्यप्रदेश के युवा शासकीय नौकरियों के साथ उच्चमति विकास के लिये भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा आवश्यक कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, नेतृत्व क्षमता के विकास के साथ सामाजिक कार्यों में सहभागिता की दिशा में भी प्रवेश सरकार योजना बना रही है। देश और प्रदेश की अर्थी संपूर्ण समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति के केन्द्र में युवा ही होते हैं। समाज की इस अपेक्षा को ध्यान में रखकर ही मध्यप्रदेश सरकार अपनी युवा नीति पर काम कर रही है।

यह मध्यप्रदेश की सशक्त युवा नीति का परिणाम है कि मध्यप्रदेश में बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। मध्यप्रदेश में बेरोजगारी की दर एक प्रतिशत से भी कम हो गई है। ये आंकड़े परिचितोलेख फोर्स सर्वे में समझे आये हैं।

यह मध्यप्रदेश सरकार की प्रभावी युवा नीति का परिणाम है कि इस वर्ष दिल्ली में आयोजित युवा उत्सव में मंगल लेते युवाओं में मध्यप्रदेश के युवाओं की संख्या अधिक थी। दिल्ली में यह युवा उत्सव संभूत हुआ। इसमें मध्यप्रदेश के युवाओं की संख्या 45 थी। इनका चयन प्रदेश में विभिन्न प्रतिस्पर्धा के जरिए हुआ था। मध्यप्रदेश सरकार की नीतियों से ही मध्यप्रदेश के युवा पूरे भारत में अपना विशिष्ट स्थान बना रहे हैं। निश्चित ही मध्यप्रदेश सरकार के इन दोनों नवाचारों से मध्यप्रदेश के युवा देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनायेगे और सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत निर्माण में मध्यप्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

रोशरा शर्मा (लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं)



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (पर्यावरण विज्ञान) परीक्षा-2022, दिनांक 17.11.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापन क्र.-13563/52/2024/अनु-10

इंदौर, दिनांक : 03.01.2025

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (पर्यावरण विज्ञान) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-25/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 27.04.2023

1.	विज्ञापन क्रमांक-12635/2022/अनु-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केएचएट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)	
2.	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)	
3.	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संदर्भ में)	
4.	शुद्धि पत्र क्रमांक- 03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)	
5.	शुद्धि पत्र क्रमांक-05/25/2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक पर्यावरण विज्ञान हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)	
6.	शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022, दिनांक 28.03.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अंतिम तिथि विज्ञापनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)	
7.	शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022, दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अंतिम तिथि विज्ञापनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)	
8.	शुद्धि पत्र क्रमांक-13/16-53/2022 दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक पर्यावरण विज्ञान) हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)	
9.	शुद्धि पत्र क्रमांक- 11/25/2022, दिनांक- 10.09.2024 सहायक प्राध्यापक पर्यावरण विज्ञान परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग की जानकारी	

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (पर्यावरण विज्ञान) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केंद्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम सत्र पर सामान्य अध्ययन प्राप्त: 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय सत्र पर पर्यावरण विज्ञान दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पदों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	-	-	-	1	-	1
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)				(PH-NA)		

सहायक प्राध्यापक (पर्यावरण विज्ञान) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल 3 अभ्यर्थियों की अनुसूचीका सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (ENVIRONMENTAL SCIENCE)-PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	340006	2.	340013	3.	340017

साक्षात्कार के लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निदेश :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक : 25/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम : सहायक प्राध्यापक (पर्यावरण विज्ञान) परीक्षा- 2022
अनुक्रमांक:-	अभ्यर्थी का नाम :-

स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रती	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रती एवं 5 छायाप्रतियाँ (केवल मूल पत्र पर नमस्करण करना है। छायाप्रतियों पर नमस्करण नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाण फॉर्म-3 मूल प्रती	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	धोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Dobar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रती	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हाईस्कूल की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेंडरी की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियाँ एवं उपाधि (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	पदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक

12.	मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रती (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जांचक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सहस्र अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रती	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरोक्त उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रती (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रती अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रती संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिचयन पत्र-1 मूल प्रती	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पत्र कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में निश्चिन्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्राइविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
21.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निवारण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी 'अभिचयन पत्र' की पूर्ण तक आयोग कार्यालय में साक्षात्कारा दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
23.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणी/स्वयमपणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 24.01.2025 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। किन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरान्त सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सफलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे अवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे अवेदकों से विलम्ब शुरुके के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार परिशिष्ट प्रपत्र-01 में निर्धारित पदों का प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)

आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 24.01.2025 के पश्चात् कार्यालयीन दिवस/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात् अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि दिनांक 21.01.2025 से रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)। 31.01.2025 तक

02. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)। 07.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दराए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (पर्यावरण विज्ञान) परीक्षा-2022 के लिए अधिस्थिति निर्माण एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

2. सहायक प्राध्यापक (पर्यावरण विज्ञान) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी। (लेटे आगे पृष्ठ पर)



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक पंजीयक परीक्षा-2023, दिनांक 08.12.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र.-13682/01/2025/अनु-10

इंदौर, दिनांक : 06.01.2025

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक पंजीयक परीक्षा-2023 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-37/2023/28.12.2023, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 23.02.2024

- गुडि पत्र क्रमांक-01/37/2023 दिनांक 18.11.2024 (सहायक पंजीयक परीक्षा-2023 हेतु परीक्षा आयोजन विषयक सूचना)
- उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक पंजीयक परीक्षा-2023 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 08.12.2024 (रविवार) को एक सत्र में 12:00 से 03:00 बजे तक आयोजित की गई थी
- उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित						
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	-	-	-	1	- 1
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	(PH-NA)				

सहायक पंजीयक परीक्षा-2023 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंका प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल 3 अर्थवर्गों की अनुक्रमांकावर सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

ASSISTANT REGISTRAR EXAM 2023 - PART A (MAIN)

ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	100295	2.	100760	3.	101130

साक्षात्कार के लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक : 37/2023/28.12.2023	पद/परीक्षा का नाम : सहायक पंजीयक परीक्षा-2023
अनुक्रमांक:-	अर्थवर्ग का नाम :-

1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियाँ (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाण फॉर्म-3 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किस्ती भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हाईस्कूल की अंकेपत्री (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेंडरी की अंकेपत्री (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	विज्ञापन अनुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकेपत्रियाँ एवं उपाधि (स्नातक परीक्षा दिनांक 23.02.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाबक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23.02.2024 तक का जारी प्रमाण-पत्र (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र (विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मांगें होंगे।) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23.02.2024 तक का जारी प्रमाण-पत्र (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक

(पिछले का रोष)

- न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई बाह्य औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अर्थवर्गों की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अर्थवर्गों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मूद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जनभागीदारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में सविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय

13.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अर्थवर्गों को ज़मीनेलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवानिवृत्त शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र की प्रति अनापति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवानिवृत्त होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिलेख पत्र-1 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	अर्थवर्गों का स्वयं का पृथक् पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पते कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में निगोता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/सुश्रुतिगमि लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	यदि अर्थवर्गों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अर्थवर्गों 'अभिलेख पत्र' की पूर्ण कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	अन्य कोई दस्तावेज जो अर्थवर्ग प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक
कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)	

अर्थवर्गों के हस्ताक्षर:-

- साक्षात्कार हेतु अर्ह अर्थवर्गों विज्ञापन अनुसार बांछित अंका प्राप्त अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अर्थवर्गों अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 27.01.2025 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अर्थवर्गों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अर्थवर्गों निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अर्थवर्गों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अर्थवर्गों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरंत सही पाए जाने पर ही अर्थवर्गों को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- एवं आयोग चयन के अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 27.01.2025 तक प्राप्त नहीं होते हैं वे आयोग द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क के साथ परिशिष्ट समर्थपत्र में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रथम 05 कार्यालयीन दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)	दिनांक 28.01.2025 से 03.02.2025 तक
02.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	दिनांक 04.02.2025 से 10.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अर्थवर्गों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरंत सही पाए जाने पर ही अर्थवर्गों को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार हेतु दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

- सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्ण प्रावधिक हैं। यदि अर्थवर्गों सहायक पंजीयक परीक्षा-2023 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनका अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- सहायक पंजीयक परीक्षा-2023 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई बाह्य औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अर्थवर्गों की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अर्थवर्गों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मूद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तत्कालीन त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- अर्थवर्गों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 27.01.2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

सचिव,

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रसीडेंसी एरिया, इंदौर

अर्थवर्गों अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक पंजीयक परीक्षा-2023 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

जी-21306/50435/2025

उप परीक्षा निबंधक

उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तत्कालीन त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अर्थवर्गों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 24.01.2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

सचिव,

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रसीडेंसी एरिया, इंदौर

अर्थवर्गों अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (स्वायत्त विज्ञान) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

जी-21265/50434/2025

उप परीक्षा निबंधक



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्रार्ष) परीक्षा-2022, दिनांक 17.11.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापन क्र.-13561/49/2024/अनु-10

इंदौर, दिनांक : 03.01.2025

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्रार्ष) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-43/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 27.04.2023

1.	विज्ञापन क्रमांक-12653/2022/अनु-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केबिण्ट याचिका दाखल करने के संबंध में सूचना)	
2.	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)	
3.	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संबंध में)	
4.	शुद्धि पत्र क्रमांक- 03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)	
5.	शुद्धि पत्र क्रमांक-05/43/2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक संस्कृत प्राच्य हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पत्र- प्रारंभ करने संबंधी)	
6.	शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022, दिनांक 28.03.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विभाषित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पत्र- प्रारंभ करने संबंधी)	
7.	शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022, दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विभाषित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पत्र- प्रारंभ करने संबंधी)	
8.	शुद्धि पत्र क्रमांक-13/16-53/2022 दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक संस्कृत प्राच्य हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)	
9.	शुद्धि पत्र क्रमांक-11/43/2022, दिनांक-10.09.2024 सहायक प्राध्यापक संस्कृत प्राच्य परीक्षा-2022 विज्ञापित हेतु हेतु मुख्य भाग एवं प्राथमिक भाग की जानकारी	

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केंद्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम सत्र पर सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 तक एवं द्वितीय सत्र पर संस्कृत प्राच्य दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पदों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	-	-	1	1	-	2
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)				(PH-NA)		-

सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्राथमिक रूप से अर्ह कुल 5 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (SANSKRIT PRACHYA)-PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	440001	2.	440005	3.	440006	4.	440007	5.	440008

साक्षात्कार के लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक : 43/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम : सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा- 2022
अनुक्रमांक:-	अभ्यर्थी का नाम :-

स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्न के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियाँ (केवल मूल प्रति पर नम्बरींग करना है) छायाप्रतियों पर नम्बरींग नहीं करना है।	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाण फॉर्म-3 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवेचित (Debar) नहीं होने संबंधी) मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हाईस्कूल की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेंडरी की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियाँ एवं उपाधियाँ (स्नातक परीक्षा दिनांक 26.09.2024 के पूर्व उर्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उर्तीर्ण प्रमाण पत्र। (दिनांक 26.09.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक

11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 26.09.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का राज्यारोपण कार्यलय का जीवित पंजीवन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यलय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाचक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यलय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है) अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यलय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरोक्त उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभागा द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र की प्रति अनापति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिचयन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोपृष्ठ बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोजता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायवर्गिंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	विभाग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांग के प्रमाण पत्र की छायाप्रति (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.09.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है)	पृष्ठ क्रमांक से तक
21.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी 'अभिचयन पत्र' की पूर्ण कर आयोग कार्यलय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
23.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणीत/व्यवसायिणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 24.01.2025 तक आयोग कार्यलय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से भेजना करने से पछात अभिलेख जमा किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यलय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यलय भेजना सुनिश्चित करें। विन आभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उन्हे विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई संलग्न सामग्री/पत्रों की आयोग कार्यलय द्वारा सूचना प्राप्त करने के उपरान्त सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में समहित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यलय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यलय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-

आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 24.01.2025 के पछात कार्यलयीन दिवस/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पछात अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पछात कार्यलयीन 05 दिवस तक राशि रुये 3,000/- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 27.01.2025 से 31.01.2025 तक
02.	निर्धारित अंतिम तिथि के पछात 10 कार्यलयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	दिनांक 03.02.2025 से 07.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पछात डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

(रूप अगले पृष्ठ पर)



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (उर्दू) परीक्षा-2022, दिनांक 17.11.2024 (रविवार)
परीक्षा परिणाम

विज्ञापन क्र.-13684/54/2024/अनु-10 इंदौर, दिनांक : 06.01.2025
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (उर्दू) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-49/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 11.05.2023
1. विज्ञापन क्रमांक-12670/2022/अनु-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संघर्ष में केविपेट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)
2. शुद्धि पत्र क्रमांक-01/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)
3. शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संबंध में)
4. शुद्धि पत्र क्रमांक- 03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)
5. शुद्धि पत्र क्रमांक-05/49/2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक उर्दू हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)
6. शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022, दिनांक 28.03.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
7. शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022, दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
8. शुद्धि पत्र क्रमांक-10/19, 20, 22, 32, 43, 45/2022 दिनांक 02.09.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 06 विषयों की ऑनलाइन आवेदन-पत्र पुनः प्रारंभ करने की सूचना)
9. शुद्धि पत्र क्रमांक-13/16-53/2022, दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक उर्दू हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)
10. शुद्धि पत्र क्रमांक-11/49/2022, दिनांक 10.09.2024 (सहायक प्राध्यापक उर्दू परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग की जानकारी)

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (उर्दू) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम सत्र पर सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय सत्र पर उर्दू दोहरा 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।
03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	3	7	9	-	-	19
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	1	2	3	-	-	6

सहायक प्राध्यापक (उर्दू) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल 13 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकोंवर सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (URDU)-PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	480025	2.	480052	3.	480198	4.	480211
6.	480223	7.	480261	8.	480303	9.	480329
11.	480365	12.	480402	13.	480405	5.	480215
						10.	480330

(पिछले पृष्ठ का शेष)

महत्वपूर्ण टिप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा-2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
3. न्यायालयीन प्रक्रणों का अंतिम चरण परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र, अर्पण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चढ़ाई गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
5. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मूद्रण गतिविधियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
6. सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जनभागीदारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चरण परिणाम याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 24.01.2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेडिसेडी एरिया, इंदौर
अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाके पर सहायक प्राध्यापक (संस्कृत प्राच्य) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।
जी-21354/50443/2025 उप परीक्षा नियंत्रक

साक्षात्कार के लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापनक्रमांक:-49/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम : सहायक प्राध्यापक (उर्दू) परीक्षा- 2022
अनुक्रमांक:-	अभ्यर्थी का नाम :-

स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भेरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रती।	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रती एवं 5 छायाप्रतियां (केवल मूल प्रती पर नम्बरींग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरींग नहीं करना है)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रती।	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवाजित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रती।	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हार्डस्कूल की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नेट-मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (उर्दू) सटीक प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्राप्ति में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रती (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है)। (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है) अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। (म.प्र शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्राप्ति में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे)। (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रती।	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रती (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र की प्रती अनापति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रती संलग्न करें। (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिचयन पत्र-1 मूल प्रती।	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/ शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में निरोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण/ न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक से तक
21.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी 'अभिचयन पत्र' की पूर्णतः कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-
05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्नक दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 27.01.2025 तक (शेष अगले पृष्ठ पर)

REQUIRED B.Ed. Course

Principal	01
Assistant Professor Perspectives in Education	04
Assistant Professor Pedagogy Subjects	08
Health and Physical Education	01
Fine Arts	01
Performing Arts Music/Dance/Theatre	01

Qualification for all above shall be strictly as per NCTE, UGC Norms under college code 28 to Apply send your CV to info@academynews@gmail.com or visit campus within 7 days.

K.R. Academy

Recognised by NCTE, Affiliated by Vikram University, Ujjain (M.P.)
Address : 216/4, Rajoda, Indore Bhopal Bypass, Rajod, Dewas (M.P.)
Contact : 9826348116, 9302345282

R-50447/2025

Indore International College, Indore

Affiliated to DAVV
IIC College Campus, Near Vishwanath Dham Mandir, Solsinda,
Sanwer Road, Indore (M.P)

APPOINTMENTS PRINCIPAL/ PROFESSORS/ASSOCIATE PROFESSORS/ ASSISTANT PROFESSORS

(As per University Code)
**Faculty Required for the Department of
B.Com, BBA, BA, B.Sc, BCA, MBA & Librarian**

Interested Eligible Candidates can send their updated CV within 7 days by
e-mail on icindoreofficial@gmail.com, or Visit College on working days.

WhatsApp: 7880099144

R-50445/2025

Oxford International College, Indore

Affiliated to DAVV
Oxford Campus, Airport-Hatod Road, Opp: Pitra Parvat,
Jambudi Hapsi, Indore (M.P)

APPOINTMENTS PRINCIPAL/ PROFESSORS/ASSOCIATE PROFESSORS/ ASSISTANT PROFESSORS

(As per University Code)
**Faculty Required for the Department of B.Com,
BBA, BA, B.Sc, BCA, MBA & Librarian**

Interested Eligible Candidates can send their updated CV within 7 days by
e-mail on oiindore@gmail.com, or Visit College on working days.

WhatsApp: 7880099144

R-50446/2025

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन का संयुक्त उपक्रम)
द्वितीय नल, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अफिमि बिल्डिंग
कालीबाड़ी रोड, भेन, सेक्टर-9, बाखेड, बोपाल-462022

भर्ती के लिए विज्ञापन

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRL), भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम, बोपाल मेट्रो रेल परियोजना और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को मध्य प्रदेश राज्य में क्रियान्वित कर रहा है। तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु MPMRL द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है।

S&T and Rs/Traction & E/M/ Track/Works/Store/HR/Finance

निम्नलिखित MPMRL के निर्माण एवं शर्तों पर संविदा के आधार पर होगी। यह विज्ञापन केवल सामंजसिक रिक्त पदों का विस्तृत विवरण एम्प्लॉयमेंटसीएसएट वेबसाइट www.mpmrct.com के कैरियर विकल्प में उपलब्ध है। आवेदन जानकारी के लिए कृपया विज्ञापन क्रमांक 3432/HRD/MPMRL-065/2025 दिनांक 07.01.2025 देखें। रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 है।
म.प्र. माध्यम/118177/2025 R-50452/2025 प्रबंध संचालक

मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड

भदमदा रोड, बोपाल-462003 (म.प्र.)
क्रमांक- मप्रपुआअविनि/30/2025/बोपाल दिनांक: 06.01.2025
प्रेस विज्ञापि

मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, बोपाल में बाह्य सेवा संबंधों के अंतर्गत रिक्त विद्युत सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के पद पर संविदा निविदा हेतु, अधिवासीयि आर पर सेवाविज्ञापन ऐसे अधिकारियों, जिन्होंने समकक्ष पद पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा के दखिलवां का निर्वहन महालेखकार कार्यालय में, मध्य प्रदेश विजि सेवा अधिकारी के रूप में अपना किती सलाहकी निगम/मध्य प्रदेश में डिप्लोमा समाप्ति किया हो, के दिनांक 27.01.2025 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त संविदा पर की अहता, अनिवार्य एवं सामान्य शर्तें, आवेदन पर का प्रारूप कार्यालय की वेबसाइट www.policehousing.mpp.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
म.प्र. माध्यम/118157/2025 R-50449/2025 प्रबंध संचालक

(पिछले पृष्ठ का रो)

आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अध्यापकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में मिलने से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अध्यापक निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अध्यापकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होते उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अध्यापक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अध्यापकों को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-

आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 27.01.2025 के पश्चात कार्यालयीन दिवस/समय पर: 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)	दिनांक 28.01.2025 से 03.02.2025 तक
02. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	दिनांक 04.02.2025 से 10.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्राथमिक है। यदि अध्यापक सहायक प्राध्यापक (उर्दू) परीक्षा-2022 के लिए अभिप्रेरित निर्णयों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र. 1, भदमदा रोड, बोपाल
क्र./38, 55/तशा/प.च./2025 दिनांक: 08.01.2025
प्रेस विज्ञापि

इस कार्यालय द्वारा निर्माण/रोवेनशन/मरम्मत/पुराई इत्यादि कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा क्रमांक (1) 2025_MPPHC_393784_1 (2) 2025_MPPHC_394123_1 (3) 2025_MPPHC_394124_1 दिनांक 22.01.2025 समय सायं 17:00 बजे तक खरीदी जा सकती है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/118234/2025 R-50456/2025 परियोजना यंत्री

R-50453/2025

पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, राहडोल

क्र. 35/2025 राहडोल, दिनांक : 08.01.2025
विज्ञापन सूचना
खेल सामग्री क्रय की जाने वाली निविदा mptenders.gov.in पोर्टल पर निविदा क्रमांक 2024_PNSNU_392109_1 प्रकाशित की गई है।
आर-50448/2025 कुलसचिव

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
3rd Floor, Vikas Bhawan, Bhopal, (M.P.)
No./263/22-12/NIT-Maint.-2025 Bhopal, Dated : 06.01.2025
NOTICE INVITING TENDER No. 325/MTN/2025 (BW)

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal <https://mptenders.gov.in> as detailed below.
Name of Work : Repair/Maintenance of Rural Roads.
Table-1: Name of Work - Within 05 Year Maintenance (BW)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Burhanpur	1	1876000.00

Table-2: Name of Work - Post 10 Year Maintenance (BW)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Balaghat	1	4597000.00
2	Harda	1	4121000.00
3	Mandsaur	1	2746000.00

Table-3: Name of Work - Post 15 Year Maintenance (BW)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Balaghat	1	3376000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from 10.01.2025 From 17:30 hrs. and last date for online bid submission is 29.01.2025 (17:00 hrs.).
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned P.U.
CHIEF GENERAL MANAGER (Tender)
M.P. Madhyam/118165/2025
"येरी सहक" एच डायनलेड कर, कीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग करें।
R-50451/2025

- सहायक प्राध्यापक (उर्दू) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाली गई वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अध्यापक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- साक्षात्कार हेतु प्राथमिक रूप से अर्ह अध्यापकों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mpp.gov.in पर उपलब्ध है। वह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी प्रमाणिकता की सूची ही प्राथमिक माननी जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरार मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जनमानसों) तथा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (उर्दू) परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी में विलोपित किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अध्यापकों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् दोनों प्रश्न पत्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णता की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक बंधावत है।
- अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 27.01.2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,
सचिव,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसोर्टीसी एरिया, इंदौर
अध्यापक अपने अभिलेख के लिकोफे पर सहायक प्राध्यापक (उर्दू) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवरुधित लिखें।
जी-21323/50444/2025 जय परीक्षा नियंत्रक



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (संगीत) परीक्षा-2022, परीक्षा दिनांक 17.11.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापन क्र.-13767/05/2025/अनु-10

इंदौर, दिनांक : 07.01.2025

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (संगीत) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-35/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 11.05.2023

1.	विज्ञापन क्रमांक-12645/2022/अनु-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविपेट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)								
2.	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)								
3.	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संबंध में)								
4.	शुद्धि पत्र क्रमांक-03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)								
5.	शुद्धि पत्र क्रमांक-05/33/2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक संगीत हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)								
6.	शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022, दिनांक 28.04.2024 (संगीत तिथि विन्यास) सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अर्थाधिक्य हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)								
7.	शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022, दिनांक 12.04.2024 (संगीत तिथि विन्यास) सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अर्थाधिक्य हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)								
8.	शुद्धि पत्र क्रमांक-13/16-53/2022, दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक संगीत हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)								
9.	शुद्धि पत्र क्रमांक-11/35/2022, दिनांक 10.09.2024 सहायक प्राध्यापक संगीत परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य भाग एवं प्राथमिक भाग की जानकारी								

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (संगीत) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम पत्र पर साह्यालय अख्यतः प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक द्वितीय पत्र पर संगीत योद्धा 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित						
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	4	1	2	1	-
(ब)	रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	1	-	1	-	2

सहायक प्राध्यापक (संगीत) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्राथमिक पदों से अर्ह कुल 22 अर्थाधिक्य की अनुक्रमांशवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (MUSIC)-PART- A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	380001	2.	380037	3.	380048	4.	380054
6.	380109	7.	380112	8.	380115	9.	380128
11.	380179	12.	380202	13.	380209	14.	380215
16.	380218	17.	380219	18.	380222	19.	380225
21.	380251	22.	380254				

साक्षात्कार के लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निदेश :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक : 35/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम : सहायक प्राध्यापक (संगीत) परीक्षा-2022
अनुक्रमांक:-	अर्थाधिक्य का नाम :-

स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां (केवल मूल प्रति पर नमस्तर करना है। छायाप्रतियों पर नमस्तर नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाण फॉर्म-3 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हार्डस्कूल की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	नगर सेक्टर की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नोट/मध्यदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक

11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्राकृत्य में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रती (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाचक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्राकृत्य में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अर्थाधिक्य को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	महिला अर्थाधिक्य हेतु विवाहोत्तर उन्मत्त परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रती (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवागत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र की प्रती। अनापति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रती संलग्न करनी। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवागत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिचयन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	अर्थाधिक्य का स्वयं का पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में त्रिवर्ती द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	यदि अर्थाधिक्य के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निवारण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक से तक
21.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अर्थाधिक्य 'अभिचयन पत्र' की पूर्णतः कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	अन्य कोई दस्तावेज जो अर्थाधिक्य प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक

अर्थाधिक्य के हस्ताक्षर:-

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अर्थाधिक्य विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणीत/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अर्थाधिक्य अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 29.01.2025 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करनी। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अर्थाधिक्य के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अर्थाधिक्य निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करनी। अर्थाधिक्य के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अर्थाधिक्य अपने आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरंत सही पाए जाने पर ही अर्थाधिक्य को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सफलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदन अर्थाधिक्य के अभिलेख आयोग कार्यालय में विन्यास से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदनकों से विलंबन शुक के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-

आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 29.01.2025 के पश्चात् कार्यालयीन दिवस/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात् अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)	दिनांक 30.01.2025 से 05.02.2025 तक
02.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	दिनांक 06.02.2025 से 12.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदनकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

- सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्राथमिक है। यदि अर्थाधिक्य सहायक प्राध्यापक (संगीत) परीक्षा-2022 के लिए अधिव्यति नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक (संगीत) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY
(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
3rd Floor, Vikas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)
(GST No. 23AAATM9054A32X)

NOTICE INVITING TENDER No. 1213 (PM-JANMAN) (Batch-I, II, III & IV, Year-2024-25)

No. 449/22-12/MPPRDA/2025 Bhopal, Dated : 09.01.2025
Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDE with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal <https://www.pmsgtenders.gov.in>, as detailed below:-

- Name of Work- Construction/Up-gradation of Rural Roads under PMSGY including maintenance for Five year after construction.
- SSR Applicable - SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority, effective from 01.01.2024 and amended upto issue date of NIT.

S. PM-JANMAN-Batch-I

S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Road	Total Length (In kms)	Total PAC (In Rs.)
1	Shahdol	1	1	0.64	3349068.00

S. PM-JANMAN-Batch-II

S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Road	Total Length (In kms)	Total PAC (In Rs.)
1	Anuppur	1	4	5.14	31783000.00
2	Gwalior	1	1	1.25	7636984.00
3	Sheopur	1	1	2.00	11483072.00

S. PM-JANMAN-Batch-III

S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Road	Total Length (In kms)	Total PAC (In Rs.)
1	Sheopur	1	1	0.80	5163793.00
2	Shivpur	1	1	4.75	38420000.00
3	Sidhi	1	1	6.30	47510000.00

S. PM-JANMAN-Batch-IV

S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Road	Total Length (In kms)	Total PAC (In Rs.)
1	Ashok Nagar	3	4	7.13	52887990.00
2	Guna	1	2	1.15	8946000.00
3	Sidhi	1	3	4.40	28985000.00
4	Singrauli	3	3	15.43	89145109.00
5	Vidisha	1	4	4.94	32823000.00

1. Availability of Bid Documents and mode of submission: The bid document is available online and should be submitted online in www.pmsgtenders.gov.in. The bidder would be required to register in the website which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchase online from 14.01.2025 (17:30 hrs.) and last date for online bid submission is 29.01.2025 (17:00 hrs.)
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMSGY Works (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/118239/2025

"मेरी सड़क" हेप ड्रानलोज क, फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सश्रयो में

R-50458/2025

OFFICE OF THE KRISHI UPJ MANDI SAMITI NOWGONG DISTT., CHHATARPUR

No./NIT/7712 Nowgong, Dated : 08.01.2025

NOTICE INVITING TENDER

Online Percentage Rate E-Tenders are invited from contractors registered with the Office of the Engineer in Chief, M.P. Public Works Department, Government of Madhya Pradesh (Centralized Registration Cell) for Construction of Farmer Rest House, Bank Cum Post Office, I-Type Quater 04 Nos, H-Type Quater 02 Nos and 10 Nos Shop cum Godown in Mandi Yard Nowgong Distt. Chhatarpur (M.P.) Tender Number : 2025_MSPAM 394143 (PAC amount Rs. 425.95 Lacs), Maintenance/Small Work in Mandi Yard Nowgong Distt. Chhatarpur (M.P.) Tender Number : 2024_MSPAM 394144 (PAC amount Rs. 16.57 Lacs), Maintenance/Small Work in Sub Mandi Yard Garhmalraha (Mandi Nowgong) Distt. Chhatarpur (M.P.) Tender Number : 2025_MSPAM 394146 (PAC amount Rs. 16.52 Lacs) and External Electrification Work in New Mandi Yard Nowgong Distt. Chhatarpur (M.P.) Tender Number : 2025_MSPAM 394147 (PAC amount Rs. 16.36 Lacs). The following works Tender to be received online up to 17:30 PM on 31.01.2025. Technical bid documents with EMD & Financial Offer to be received online only as per Detailed NIT. The tender documents can be obtained online on the <http://mptenders.gov.in> as per the Notice Published on the above Portal and detailed information can also be seen on website www.mpmmandiboard.gov.in

Note : Any corrigendum in this NIT, if required, shall be displayed only in our above portal regarding any matter included in this NIT or otherwise. Other details of Construction/Development works and locations & key dates can also be seen on our website www.mpmmandiboard.gov.in

M.P. Madhyam/118236/2025

SECRETARY

R-50457/2025

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPN. LTD.
R.O. Chamba City Center, Gwalior, Website : ed.rngw@mpidc.co.in

निविदा सं. 16 ई-प्रस्ताव दिनांक : 07.01.2025

कार्य का नाम अनुमानित लागत/प्रारंभिक राशि

ऑटो ग्राहक सेवा केंद्र/विद्युत विभागा विभाग में 74,800,000/-

पर प्रस्ताव हेतु सहायक प्रयाग कर लागत का बोझा 75,500.00

निविदा प्रारंभ दिनांक: 13.01.2025 से 26.01.2025 समय 5.30 साय तक खरिद एवं

अवलोकन किये जा सकते हैं। निविदा संबंधी दस्तावेज एवं शर्तें <https://mptenders.gov.in> पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।

म.प्र. माध्यम/118245/2025 कार्यपंजीयन नं.0

R-50465/2025

देश की क्षमता के सदुपयोग के लिये सही दिशा में प्रयास आवश्यक

भोपाल, उप मुख्यमंत्री श्री रामेन्द्र शुक्ल आईएचआई (रिजेट्रेड) ऑफ कंपनी रेजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया की एग्री प्रोटेक्ट कॉन्सर्ट-2025 'संकल्प' में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वैभवशाली नेतृत्व में भारत में अपार संभावनाएं हैं। देश की क्षमता के सदुपयोग के लिये सही दिशा में प्रयास आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले अप्रोफेशनल पूरी निष्ठा के साथ देश के निर्माण में अपना योगदान दें। सभी अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी विश्वास है कि युवा शक्ति और वीरों के सतत मार्गदर्शन में भारत 2047 तक विश्वगुर्भ बनगा।

(पिछले पृष्ठ का रोप)

3. न्यायालयीन प्रक्रमों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देते अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वॉकलैंड औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किस्ती भी रद्द पर अथवा की की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
5. साक्षात्कार हेतु प्राधिकर रूप से अर्ह अर्थव्ययों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि त्रुटिपूर्ण त्रुटियों के लिए आयोग विभिन्नदा नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
6. सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्धान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जग्गामगिदारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में संश्लिदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्धानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के परित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुसुचित रहेगा।
8. आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिख गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (संगीत) परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी में विलोपीत किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अर्थव्ययों को समान रूप से प्रयाग किए गए हैं अर्थात् दोनों प्रश्न पत्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णक की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक यथावत है।
9. अर्थव्ययों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 29.01.2025 तक मिन्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी एरिया, इंदौर
अथवा अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (संगीत) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।
जी-21390/50459/2025 उप परीक्षा निवर्तक

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY
(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
3rd Floor, Vikas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)
(GST No. 23AAATM9054A32X)

NOTICE INVITING TENDER No. 324/MTN/2025

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal <https://mptenders.gov.in> as detailed below.

- SSR Applicable ; SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority effective from 05.11.2019 and amendments upto issue date of NIT.

1. Table No. 1 : Name of Work - Repair/Maintenance of The Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (POST 5 YEAR)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Raisen	1	1957422.00

2. Table No. 2 : Name of Work - Repair/Maintenance of The Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (POST 15 YEAR)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Raisen	2	3314667.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from 10.01.2025 Between 17:30 hrs. and last date for online bid submission is 29.01.2025 (17:00 hrs.)

2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P. Madhyam/118216/2025 CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

R-50450/2025

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय कोलार रोड,
भोपाल-462016 (म.प्र.), Tel. : 0755-2424666, 0755-2492983,
0755-2492096, Website : www.bhojvivaanuniversity.com
क्र. : 8551 भोपाल, दिनांक : 08.01.2025

"अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रण"

विश्वविद्यालय में बी.एड. (सामान्य) विभाग में निम्नानुर अतिथि शिक्षकों के आवेदन एवं आमंत्रित किये जाने हे. - डिन्डि-01, असेडी-01, विद्धान-02, गणित-02, सामाजिक विद्धान-02 उक्त आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये। कार्य की आवश्यकता तथा संबंधित अतिथि शिक्षक का कार्य-26 के अथवा अर्थात् होने की स्थिति में आमंत्रण का नवीनीकरण किया जा सकेगा। स्वीकृत एवं अर्हातवारी उम्मीदवारों से आवेदन के साथ शैक्षणिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव के समस्त अर्हातवारी दस्तावेजों की छायाप्रति को संलग्न कर दिनांक 31.01.2025 तक मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 969/F-1-9/2016/138-1, भोपाल दिनांक 08.08.2016 एवं आदेश क्र. 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 26 जून 2018 में विरे गये प्रावधानों के असाक्षात्कार के माध्यम से भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के निम्न विद्धानों के अनुसार आर्हातवारी शिक्षकों को साक्षात्कार से वृत्त रहेगी। शैक्षणिक अर्हात, पत्र संख्यांक (आयशरकानुसार परीक्षादिनांक) एवं मातरेत आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://mpbou.edu.in> का अवलोकन करें।
म.प्र. माध्यम/118216/2025 R-50454/2025 कुलसचिव

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(Government of Madhya Pradesh Undertaking) CIN : U51102MP1977SGC001392
SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM

21, Arera Hills, Bhopal-462011 M.P. (India), Tel. : (+91) 0755-2571801, 2575618, 3523555, 3523505
E-mail : helpdesk@mpidc.co.in, Website : www.invest.mpp.gov.in
MPIDDC/CE/Tech-RFP/2025/191 Date : 09.01.2025

NOTICE INVITING TENDER

Madhya Pradesh Industrial development Corporation Ltd. (MPIDC Ltd.) invites online percentage rate bids for the following work from registered contractors and firms for the following work :

NIT No.	Name of Work	District	Probable Amount of Contract (In Rs. Cr.)
191	Development of Industrial Park, Gohapur, Dvyppar	Sahadol	16.13

The Tender documents can be downloaded from the e-procurement Portal- <https://mptenders.gov.in> - MPIDC HO
M.P. Madhyam/118227/2025 R-50455/2025 CHIEF ENGINEER

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परीयोजना वंश, संभामा क्र. 1, भद्रबाद रोड, भोपाल

क्र./69/तथा/प.वं.2025 दिनांक : 09.01.2025

प्रेस विज्ञापित

इस कार्यालय द्वारा निर्माण/नोवेशन/मरामत/नवीनीकरण इत्यादि कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा क्रमांक (1) 2025_MPPHC_394607.1 (2) 2025_MPPHC_394608.1 (3) 2025_MPPHC_394609.1 दिनांक 18.01.2025 समय सायं 17:00 बजे तक खरीदी जा सकती है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/118249/2025 परीयोजना वंश

R-50466/2025

भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी के नाम से जाना जायेगा बड़नगर का सीएम राइज़ स्कूल

उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन जिले के बड़नगर में 40 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्व-निर्मित सीएम राइज़ स्कूल भवन का लोकार्पण कर समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़नगर में जिस स्कूल को सीएम राइज़ के रूप में विकसित कर लोकार्पण किया गया है, इसी स्कूल

- जन-भावनाओं के अनुरूप रखे जायेंगे गांव और शहर के नाम।
- एक लाख युवाओं को दो सरकारी नौकरी।
- शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध।
- सीएम राइज़ स्कूल शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

● पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी स्मृति में बड़नगर के सीएम राइज़ स्कूल का नाम भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण के लिये वर्ष 2024 में 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिकीकरण के प्रयासों से बड़नगर में भी बड़े औद्योगिक

समूह हाइप 3500 करोड़ रुपये की लागत से फैक्ट्री स्थापित की जायेगी। उन्होंने कहा कि बड़नगर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना भी शीघ्र होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ने परियोजना का भूमिपूजन हो चुका है। इसका लाभ प्रदेश के 13 जिलों को मिलेगा। इस परियोजना का

पूरु होने पर बड़नगर क्षेत्र के खेत भी बाहर महीने फसलों से लहलहाएंगी। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा का उपयोग प्रदेश में ही करने के लिए हम एक लाख से अधिक युवाओं को शासकीय सेवा में भर्ती करेंगे और इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का शैक्षणिक परिदृश्य अब तेजी से बदल रहा है। हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मध्यप्रदेश में वैद्यों के परम्परागत ज्ञान को सहजने की आवश्यकता

भोपाल, आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि परम्परागत ज्ञान को शोध के आधार पर युगानुकूल परिदृश्य में बदलाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों सहित समस्त क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य कर रहे परम्परागत वैद्यों का, प्रदेव्याख्यापी पंचायत कर उनके ज्ञान को सहजने के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाए। श्री परमार ने विभाग के अंतर्गत संचालित सस्थाओं में मानव संसाधनों

की जानकारी प्राप्त कर, रिक्त पदों की पूर्ति प्रक्रिया निरत समयावधि पर पूर्ण करने को कहा। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति सम्बंधी निर्दिष्ट प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए। लोक सेवकों की सीआर ऑनलाइन करने एवं न्यायालयीन प्रकरणों को यथाशीघ्र निराकरण करने को कहा। श्री परमार ने कहा कि नरिजी आयुष महाविद्यालयों के शिक्षण शुरू का पारदर्शितापूर्ण पुनर्निर्धारण करें, ताकि विद्यार्थियों को कठिनाई न हो।

स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने संबंधी कार्यशाला सम्पन्न

भोपाल, स्थानीय उत्पादों को जीआई टैगिंग के जरिए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए परम्परागत कलाकारों में काशीशाला संस्थान हुई। कार्यशाला में प्रमुख रूप से पंचश्री डॉ. रजनीकांत भी शामिल हुए। इस अवसर पर उद्योग आयुष मंत्री विद्यागंगा के काशीशाला में शामिल सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे जीआई टैगिंग के लिए संभावित और चिह्नित उत्पादों की सूची सांझा करें। पंचश्री डॉ. रजनीकांत ने जीआई टैगिंग के फायदे, बाजार विस्तार और जीआई टैगिंग पर अपने अनुभव साझा किए।

सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है सरकार

विदिशा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लटेरी (विदिशा) में विकास कार्य के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में विद्याल जनमुद्रा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनने की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। युवा, गरीब, किसान और महिलाएं हमारी विशेष प्राथमिकता हैं।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए 132 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 80 करोड़ 16 लाख रुपये के 54 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 51 करोड़ 96 लाख रुपये के 198 विकास कार्यों का



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदिशा में हितवाचन वितरित करते हुए

लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितदायकों को हित लाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग,

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की समीक्षा अधोसंरचनात्मक कार्यों की प्रगति की प्रत्येक पंद्रह दिनों में की जाए समीक्षा



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के संबंध में आपाजित बैठक को संबोधित करते हुए

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 में उज्जैन और इंदौर संभाग गतिविधियों के मुख्य केंद्र रहेंगे। इन संभागों में 2 ज्योतिर्लिंग होने से श्रद्धालुओं का आवागमन तथा धार्मिक गतिविधियां तुलनात्मक रूप से अधिक होंगी। इंदौर-उज्जैन संभाग में जारी विभिन्न विभागों के कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों, यह मॉनिटरिंग प्रत्येक 15 दिन में सुनिश्चित करें। सक्षम स्तर के अधिकारी बैठक कर, कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। ऐसे विषय जिनमें उच्च स्तर से समय-या मार्गदर्शन आवश्यक है, वे विषय राज्य शासन के कार्यों में लाए जाएं। मिनिंग एजेंसियों को सौंप गए कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर विलंब के कारणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधोसंरचना से संबंधित जिन कार्यों के निर्माण में अधिक समय लगाना है, उन सबकी मंत्री-मंडलीय समिति से स्वीकृति प्राप्त करने और निवृत्त प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य मार्च-2025 तक कर लिया जाए। जल प्रदाय, सिंचने के

- विलंब के कारणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
- प्रयागराज कुंभ प्रबंधन में आर्टिफिशियल इटैलीजेंस क्षेत्र में हुए नवाचारों की वेस्ट प्रैक्टिसेस का सिंहस्थ में होगा क्रियान्वयन।
- इंदौर के लाल बाग पलेस और दवाब होलर बागवड़ा तथा ओंकारेश्वर में ममलेखर मंदिर कॉम्प्लेक्स का भी होगा अनुरक्षण और विस्तार।

कार्य तत्काल आरंभ किए जाएं। इसके साथ ही उज्जैन तथा इंदौर जिलों में बस अड्डों की क्षमता वृद्धि या नवीन स अड्डों के विकास की कार्ययोजना भी मार्च-2025 तक तैयार की जाए। सिंहस्थ-2028 के लिए समस्त विभागों के अधोसंरचनात्मक कार्यों की कार्ययोजना को सितंबर-2025 तक अंतिम रूप दिया जाए। प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार कुंभ में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ-2028

की व्यवस्थाओं को श्रद्धतम स्वरूप देने के लिए प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार कुंभ मॉडल का अभ्यवन भी किया जाएगा। प्रयागराज कुंभ पूर्ण होने के बाद वहां क्रोड मैनेजमेंट, ड्रोन सर्वे, आर्टिफिशियल इटैलीजेंस के उपयोग तथा अन्य गतिविधियों में लगी कंपनियों तथा स्टार्ट-अप का उज्जैन में सम्मेलन आयोजित कर वहां की वेस्ट प्रैक्टिसेस का क्रियान्वयन सिंहस्थ-2028 में करने की कार्ययोजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के आवागमन में सुगमता के लिए रेलवे से समय-व्यव के उद्देश्य से विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों तक श्रद्धालुओं के आसानी से आवागमन के लिए उषुक पहुंच वाग विकसित किए जाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि मंत्री-मंडलीय समिति द्वारा प्रथम बैठक में जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण, संस्कृति, पुरातत्व और गरीबी विकास एवं आवास विभाग के लगभग 5 हजार 955 करोड़ रुपये लागत के 19 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महाविद्यालयों में गुणवत्ता वृद्धि की बनाई कार्ययोजना

- शासकीय संस्थानों में ही परीक्षाएं करावई जाएं।
- महाविद्यालयों के समग्र विकास में पूर्व विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने बनाए कार्ययोजना।

कने के निर्देश दिए श्री परमार ने कहा कि महाविद्यालयों के समग्र विकास में पूर्व विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की भी प्रयास किए जाएं। श्री परमार ने कहा कि समस्त पत्र विद्यार्थियों को विभागीय छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की दिशा में अधिकाधिक प्रयास करें।

श्री परमार ने विद्यार्थियों के हितों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वित्तिय वर्ष 2024-25 के बजट आबंटन, व्यय की स्थिति एवं आगामी वित्तिय वर्ष के बजट के लिए विभागीय तैयारियों की गहन समीक्षा की। श्री परमार ने महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं के उन्नयन एवं मरम्मत आदि कार्यों में आवश्यकतानुसार अग्रतम बजट का उपयोग करते हुए महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के समग्र विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के लिए महाविद्यालयों में विभिन्न निर्माण एवं सुधार आदि कार्यों को स्यावधि पर पूर्ण करने को कहा।

स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समस्त भवन से 'पीएम जनमन अभियान' के तहत 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक कोने तक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें, हर खिले में मेडिकल कॉलेज हों, अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हों और पर्याप्त स्वास्थ्य अमला हो। उन्होंने कहा कि 46 हजार से अधिक स्वास्थ्य अमला की भर्ती के लिये स्वच्छिद्विती दी जा चुकी है। उन्होंने शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त

स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से कोई भी क्षेत्र विकास की छलांग लगाने के लिये तैयार होता है। सशक्त और विकसित प्रदेश के लिये इन क्षेत्रों का सशक्त होना जरूरी है। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता का कार्य करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स दुर्गम और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में पहुंचकर आमजन को ओपीडी, रोग निदान, उपचार और दवाइयों जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंचार विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाकर प्रदेश को बनाएंगे मॉडल एजुकेशन स्टेट



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शिक्षकों के प्रथम दल को संबोधित करते हुए

उज्जैन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के एनआईटी के चर्चुअली बुद्धकर 'स्टास परियोजना' के तहत अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रथम के लिए सिंगापूर जाने वाले चयनित शिक्षकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पुरातन गुरुकुल परम्परा आज भी प्रासंगिक है। आज कई विकसित देश हमारी पुरानी गुरुकुल परम्परा को अपनाकर अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम प्रदेश में नलास के अंदर और नलास के बाहर भी विद्यार्थियों को जीवन एवं नैतिक मूल्य तथा व्यावहारिक शिक्षा देकर उनके समग्र विकास की ओर बढ़ रहे हैं। मजबूत इरादों और शैक्षणिक गुणवत्ता में आमूल-मूल सुधार लाकर हम प्रदेश को शिक्षा के मामले में देश का एक मॉडल एजुकेशन स्टेट बनायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक परिदृश्य में हमारा इतिहास समृद्ध रहा है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विद्याविद्यालयों

- हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को अपना रहे हैं विकसित देश।
- 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना है विद्यार्थी।
- प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाने के लिए शिक्षकों की अहम भूमिका।

एवं उज्जैन के सादीपनि आश्रम सहित अन्य विद्यासंस्थान शैक्षणिक संस्थाओं ने तत्कालीन समय में उच्चकोटि की शिक्षा देकर राष्ट्र को उपजत किया। तत्सम गुरुओं में अपने विद्यार्थियों के कला-कौशल को पहचानने की एक दृष्टि होती थी, यही कारण था कि मगधान श्रौतम-तत्सम और श्रीकृष्ण ने भी अपने गुरुओं से ही शिक्षा-दीक्षा ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आज के शिक्षकों में भी गुरु की वही दृष्टि विकसित करना चाहते हैं।

शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी से ही

विश्व में देश और प्रदेश की पहचान बनेगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रथम के लिए चयनित प्रदेश के सभी शिक्षकों को अपनी ओर से सफल शैक्षणिक यात्रा की स्नेहित शुभकामनाएं देकर उनका उत्साहवर्धन किया।

क्या है स्टार्स परियोजना
स्टार्स परियोजना (स्टैरिंग टैचिंग-लर्निंग एण्ड रिजल्ट्स फॉर स्ट्रेट्स प्रोजेक्ट) भारत सरकार की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 6 राज्यों का स्वयं चलाया गया है। इन 6 राज्यों में मध्यप्रदेश को भी चुना गया है। स्टार्स परियोजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के चयनित लोकसेवकों एवं शिक्षकों को वैश्विक शिक्षा प्रणाली, शिक्षा की गुणवत्ता और तकनीकी उन्नति के अवलोकन के लिए प्रसिद्धि एकेडमी, सिंगापूर में शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश में पंजीकृत गौ-शालाओं को मिलने वाले अनुदान में वृद्धि

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंजाल में पशुपालन एवं डेवरी विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ-संरक्षण एवं गौ-इसके साधु पशुपालकों की आय भी बढ़ाए इसके लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजीकृत गौशाला में रहने वाले पशुओं को पहले 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु आहार अनुदान दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपये किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादकों को बोनास दिए जाने की भी सरकार की योजना है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित सभी गौ-शालाओं का निरीक्षण कवाया जाए अनुदान की राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गौ-शालाओं के संचालन में समाज का भी पूरा

इंदौर में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र का गौरव कला संकुल मई माह में होगा पूर्ण

इंदौर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत निर्माणाधीन कला संकुल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में एक बड़ी सीमागत मिलेगी। यहां कला एवं संस्कृति के क्षेत्र का गौरव कला संकुल मई माह में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जायेगा। अत्यधुनिक सुविधाओं से युक्त 35 करोड़ रुपये की लागत वाला कला संकुल एमजी रोड पर

सहयोग लिया जाना चाहिए। गौ-शाला में गोवंश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरों में गोवंश पालने की भी शीघ्र योजना बनाई जाए। गाय का दूध अत्यंत पोषक होता है तथा बच्चों के कुपोषण को दूर करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े नगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर की तरह अन्य बड़ी नगर पालिकाओं में भी आवश्यक गौ-शालाओं का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में 187.00 लाख गोवंश हैं इनमें से 90.96 प्रतिशत यानि 170.537 लाख देसी नस्ल के गोवंश हैं।

प्रदेश में 3.15 लाख गोवंश के लिए 2190 गौ-शालाएं संचालित की गई हैं। इनमें से प्रशासकीय स्वयं सेवी संस्थान द्वारा 627 गौ-शालाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें 1.95 लाख गोवंश और मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना के अंतर्गत 1563 गौ-शालाओं में 1.20 लाख गोवंश रहे हैं।

इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। कला संकुल परिसर के निर्माण का काम अंतिम चरण में है।

इंदौर का गौरवशाली इतिहास
इंदौर नगर निगम द्वारा इंदौर शहर में कला क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए शहर के कला एवं संस्कृति क्षेत्र से जुड़े अनेक कलाकारों के लिये उचित संस्थान देने के लिये यह संकुल तैयार किया जा रहा है।

एमएसएमई पॉलिसी से

मध्यप्रदेश में उद्योग परिदृश्य को मिलेगी नई उड़ान

भोपाल, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप ने उद्योग संघों के प्रतिनिधियों से कहा कि प्रदेश सरकार स्नोबल इन्वेस्टर चर्चित से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नई एमएसएमई पॉलिसी के साथ ही भूमि आंदोलन नियम और प्रोत्साहन की ऐसी पॉलिसी लागू की जिससे मध्यप्रदेश में स्थानीय उद्यमिता का विकास विशिष्ट निवेशकों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आकर्षित करने के साथ सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला प्रदेश के रूप में उभरे।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 23 जनवरी तक

भोपाल, खाद्य, नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह रावत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाई तक 5 लाख 61 हजार 627 किसानों से 36 लाख 50 हजार 736 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में हो चुकी है। धान की खरीदी के लिये 13933 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। धान का उपार्जन 23 जनवरी 2025 तक किया जायेगा। धान कीमत का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपये है। किसानों के आधार लिंकड बैंक खातों में अनाई तक 5005 करोड़ 21 लाख रुपये की राशि अंतरित कर दी गई है।

राष्ट्र के विकास को नई दिशा देगी युवा शक्ति

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय युवा उत्सव-2025 के समापन पर टी.टी. नारद स्टैडियम के बैडमिंटन हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वप्न है कि वर्ष 2047 में आजादी के शताब्दी वर्ष तक देश ही नहीं दुनिया के प्रतिनिधित्व में हिन्दुस्तान के युवाओं की अग्रणी भूमिका हो। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र के विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विभाग द्वारा प्रदेश के ऐसे युवा जो सेना और पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उनके

- युवा शक्ति राष्ट्र विकास को देगी नई दिशा।
- पीएआरटीएच एवं एम्पीवायपी का हुआ अंनलाइन शुभारंभ।

लिए 'पार्थ' योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। प्रदेश में 10 स्थानों पर इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। यह संस्था स्व-पोषित होगी। इनमें प्रशिक्षणार्थियों को न्यूनतम शुल्क देना होगा। एम्पीवायपी अभियान के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास, कॅरियर और रोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम

से प्रदेश के युवा अपनी योग्यता को और अधिक तराश कर अपने भविष्य के आधार को मजबूती प्रदान करेंगे।

आनंद का परामर्श देना युवा शक्ति में
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कला एवं कलाकारों के अद्भुत संगम की प्रस्तुति से मन आनंद से प्रफुल्लित हो उठा है, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। परम आनंद की अनुभूति है युवा शक्ति में आज के युवा में कल के विकास भारत की झलक देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के स्वागत में युवा उत्सव के विवेता सदस्यों द्वारा रंगारंग नृत्य-नाटिका की प्रस्तुति दी गई।

बिजली के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को बनायें आदर्श राज्य

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को आदर्श राज्य बनायें। ऐसी कार्ययोजना बनायें कि उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाये बरि बिजली सिकिडी का भार कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य को गति दें। इससे होने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को समय-समय में बदला जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये सभी बिजली कम्पनियों की संगठनात्मक

संरचना (ओ.एस.) का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जल्द ही इसे स्वीकृत किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 लाख किसानों को सीर ऊर्जा से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सुनिश्चित कार्ययोजना बनायें। इसकी समय-सीमा तय होनी चाहिए। इससे बिजली सिकिडी में भी कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध करायें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह ठोकर ने संगठनात्मक संरचना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ट्रांसफार्मर एवं बिजली लाइनों के मेटेनर की कार्ययोजना बनाने और अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन देने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने किया ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन

इंदौर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि से ड्रोन टेक्नोलॉजी को देश में बढ़ावा मिला है। सभी ड्रोन दीदी जैसी योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि नवीन तकनीकों को अपनाने में भारत अग्रणी बन रहा है। आज के समय में खेतों में दवा छिड़काव से लेकर अन्य अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां ड्रोन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग हो रहा है। यह प्रशिक्षण केंद्र मध्यप्रदेश प्रस्ताई क्लब और क्लबुटा ग्राम ट्रस्ट के संयुक्त उद्यम से प्राध्न हुआ है।

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश प्रस्ताई क्लब के श्री मिलिंद महाजन से कहा कि वे पूरे मध्यप्रदेश के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करने



की योजना बनाएं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं भी ड्रोन उड़ाकर देखा। ड्रोन उड़ाने हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतीकात्मक रूप से दिखाया कि मध्यप्रदेश भी इसी तरह विकास की नई

उड़ान पर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का विशाल भौगोलिक क्षेत्र और बल संयोज के प्रबंधन में ड्रोन की यह टेक्नोलॉजी मददगार सिद्ध होगी।

(सुरा : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मध्यप्रदेश में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को दिया जाएगा रचनात्मक स्वरूप

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समलभ भवन, मुख्यमंत्री निवास में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजनाओं की समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को रचनात्मक स्वरूप प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए शासन की ओर से मिलने वाले आर्थिक लाभ को सार्थक बनाने का प्रयास करे। ऐसे आयोजनों में समाज के संघन और सघन लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाए। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ ही आयोजन में कुरीतियों के विरुद्ध आवश्यक संदेश भी दिए जाए। उन्होंने कहा कि खर्चीले विवाह नहीं होने चाहिए। सामाजिक कुरीतियों को खत्म करते हुए

ऐसे कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी और रचनात्मक स्वरूप प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ नगरों में निजी संस्थाएं दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। इससे अन्य नगरों के सामाजिक संस्थानों को भी प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए उज्जैन में टॉवर चौराहे के नजदीक दिव्यांगजन को फिजियोथेरेपी का लाभ दिलवाने के लिए डॉ. सारस्वत द्वारा सहयोग किया जा रहा है। इसी तरह नेत्रहीन लोगों एवं वरिष्ठजन को विशेष चर्चा प्रदान करने का कार्य भी विभिन्न नगरों में किया जा रहा है। इस चरम के निर्माण में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है।

नुबुगों को भी चर्चा बहुत कम राशि में उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस कार्य में सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न

युवाओं के समग्र विकास के लिए प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन स्वीकृत



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित किया

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा-उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर प्रदेश में चार मिशन अन्वयता (किसात) कल्याण, युवा शक्ति, नारी शक्ति और गरीब कल्याण को लागू करने की घोषणा की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, युवाओं के उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए

मिशन के तीन प्रमुख लक्ष्य

- युवाओं की आय का स्तर न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर के बराबर लक्षित करना।
- युवाओं की कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूरी कराने के लिये प्रयास करना।
- प्रत्येक युवा को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना।

एक साझेदारी मंच का निर्माण करेगा, जिससे राज्य के विकास को बढ़ावा मिलेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी के साथ

उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन के प्रमुख घटक संवाद, सामर्थ्य (योग्यता) और समृद्धि है।

दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा

मंत्रिपरिषद द्वारा पशुपालन एवं डेबरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और राष्ट्रीय डेबरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से मिलने वाले सहकार्यता अग्रबन्ध (कोलेगोशन एग्ज़ीमेंट) पर सहमति दी गयी। यह निर्णय मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन की आगे दौगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

प्रदेश के 16 अबा डिजिटलॉकर के माध्यम से जिलों में उपलब्ध होंगे बिजली बिल

भोपाल, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र भोपाल, खालियर, नर्मदापुरम तथा चंबल संभाग के 16 जिलों में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली बिल अब डिजिटलॉकर के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गौरतल्ल है कि डिजिटलॉकर 'डिजिटल इंडिया' के तहत भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। डिजिटलॉकर उपभोक्ताओं को सार्वजनिक सर्विसों पर सुरक्षित दस्तावेज एक्सेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये डिजिटल दस्तावेज भारतीय सूचना


प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज हैं। इसके अलावा, 'सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2016' के नियम 9 ए के तहत डिजिटल लॉकर के माध्यम से उपलब्ध जारी किए गए दस्तावेजों को मूल फिजिकल दस्तावेजों के बराबर माना जाता है। कंपनी ने कहा है कि डिजिटलॉकर मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं तक बिजली बिलों को पहुंचाकर उन्हें संग्रहित करने का एक सुरक्षित, सुविधाजनक और पेपरलेस तरीका है।

फैक्ट फाइल

अधोसंरचना निर्माण के लिए किये गये कार्यों के फलस्वरूप प्रदेश में लोगों को हो रही है सतत विद्युत आपूर्ति

रिकॉर्ड 23 हजार 788 मेगावाॉट बिजली उत्पादन के साथ बड़ी रफ्तार

मध्यप्रदेश ने बिजली के उत्पादन में अतुल्य उपलब्धि प्राप्त की है। वर्ष 2003 तक अंधेरे में रहने को मजबूर प्रदेश में अब रिकॉर्ड बिजली उत्पादन हो रहा है। यह सब संभव हुआ है अधोसंरचना निर्माण में किये गये कार्यों से। प्रदेश में लोगों को सतत विद्युत आपूर्ति के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों के चलते प्रदेश में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। प्रदेश की वर्तमान विद्युत क्षमता 23 हजार 788 मेगावाॉट है, जो एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने के साथ समस्याओं के तुरंत निराकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जाती है। प्रदेश पावर ट्रांसमिशन की डेपेंडेंसि तथा अति उच्च दाब उप केन्द्रों का रिमोट ऑपरेशन किया जा रहा है।



- दिसम्बर-2023 से नवम्बर-2024 तक कुल 10136 करोड़ यूनिट बिजली प्रदाय।
- 20 दिसम्बर 2024 को सर्वाधिक 18913 मेगावाॉट बिजली आपूर्ति प्रदाय।
- प्रदेश के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को दरों में राहत।
- बिजली कंपनियों को अनुमानित 24 हजार 420 करोड़ 8 लाख रुपये की सम्बिद्धि देने का निर्णय।
- अटल गृह ज्योति योजना में प्रति माह एक करोड़ से अधिक, अटल कृषि ज्योति योजना में 26 लाख 59 हजार और नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना में 9 लाख 3 हजार कृषि उपभोक्ता प्रति माह लाभान्वित।
- मध्यप्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी के ताप विद्युत गृहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक 28627 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया गया है।
- 13 धर्मल इकाइयों ने लगातार 100 दिनों एवं अधिक सतत एवं निर्बाध विद्युत उत्पादन किया, जिनमें से दो इकाइयों ने 200 दिनों से अधिक समय तक विद्युत उत्पादन किया।

- श्री सिमाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया (एसएस्टीपीपी खंडवा) में 660 मेगावाॉट स्थापित क्षमता की यूनिट नंबर 3 को 200 दिन तक संचालित करने में सफलता।

अतिरिक्त व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अधोसंरचना निर्माण

ट्रांसमिशन व्यवस्था मजबूत करने के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 अति उच्चदाब उप केन्द्रों की स्थापना की गई है। साथ ही 26 अति उच्चदाब पावर ट्रांसफार्मर उन्नीकृत किये गये हैं। कुल 818.170 सर्किट किलोमीटर अति उच्चदाब पावर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 25 अतिरिक्त अति उच्चदाब पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं 40 अति उच्चदाब पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कर अति उच्चदाब उप केन्द्रों की क्षमता में 4630 एमपीए की वृद्धि भी की गई है।

किसानों के लिए ट्रांसफार्मर लगाने की पहल

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई पंप उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इसके लिए किसानों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के उद्देश्य से स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाये जाने की योजना लागू की है। योजना में किसान स्वयं अथवा समूह में निर्धारित मॉडर्न के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। इसमें नवंबर 2024 तक एक लाख 40 हजार 101 ट्रांसफार्मर स्थापित किये जा चुके हैं।

मध्यप्रदेश में बिजली अधोसंरचना का विकास

वर्तमान में 33 के.वी. लाइंस 61 हजार 162 किलोमीटर हो गई है। 33 के.वी. लाइंस वर्ष 2003 में 29 हजार 70 किलोमीटर, वर्ष 2008 में 33 हजार 913, वर्ष 2011 में 38 हजार 867, वर्ष 2013 में 41 हजार 528, वर्ष 2014 में 43 हजार 910 किलोमीटर थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्च 2024 तक 3165 किलोमीटर 11 के.वी. लाइन का विस्तार किया गया है।

ताप विद्युत गृह के कीर्तिमान

• चर्चाई में 210 मेगावाॉट स्थापित क्षमता की यूनिट 300 दिन तक संचालित।

- शाका मयि पाठे (लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)



काम्या कार्तिकेयन

दुनिया की सबसे युवा पर्यटारोही बर्नी

मुंबई की 17 साल की काम्या कार्तिकेयन ने सभी 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फुहार कर रिकॉर्ड बनाया है। काम्या ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्यटारोही बन गई है। उन्होंने 24 दिसंबर को अंटार्कटिका के माउंट विंसन को फुहार करके यह मुकाम हासिल किया। काम्या कहती हैं- हर चोटी मुझे हिममत और सहनशक्ति की सीख देती है।

माइकल जॉनसन

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए

रिपब्लिकन पार्टी के नेता और संसद माइकल जॉनसन तीन गणों के मामूली अंतर की जीत के साथ फिर से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए। रिपब्लिकन पार्टी के पास सदन में 219 सीट हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 215 सीट हैं। लूसियाना के चौथे 'कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट' का प्रतिनिधित्व किया। पनामा के जनरल जॉनसन को 218 वोट मिले, जबकि डेमोक्रेटिक के हकीम जेफ्रीज को 215 वोट मिले। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉनसन को दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी।

पनामा ने

मनाई नहर सौंपे जाने की 25वीं वर्षगांठ

पनामा ने पनामा नहर को सौंपे जाने की 25वीं वर्षगांठ मनाई। पनामा नहर लगभग एक सदी तक अमेरिका के नियंत्रण में थी। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर 1914 में नहर खोली और 31 दिसंबर, 1999 तक जलमार्ग का प्रबंधन किया। पनामा के जनरल उमर टोरिजोस और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा 7 सितंबर, 1977 को हस्ताक्षरित टोरिजोस-कार्टर संधि ने 85 वर्षों के पनामा नहर धर, एक औपनिवेशिक परिवेक्षण पर नियंत्रण के इतिहास को समाप्त कर दिया। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिने ने कहा, पनामा प्रशासन के इन 25 वर्षों में सामान्य लक्ष्य पर काम किया है।

भारतीय साहित्य में है विश्व बंधुत्व, सामाजिक न्याय और समानता का स्वर्ण

भोपाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री सुशी रिर्मला भूरिया ने कहा है कि हमें भारत जैसे महान देश का निवासी होने और भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने का गर्व है। भारतीय साहित्य में धार्मिक, सांस्कृतिक, और दार्शनिक विचारों का विश्वो महत्व है। भारतीय साहित्य केवल मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि यह जीवनीराली को भी बदल देता है। भारतीय साहित्य में राष्ट्र का स्वर उद्घोषित होता है। राष्ट्र गौरव का भाव भारतीय दृष्टि की विशेषता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश सांस्कृतिक विविधता लिए हुए है इसलिए साहित्य को किसी एक भाषा में

एन. टेलनेस

पुलित्जर अवॉर्ड से सम्मानित कार्टूनिस्ट ने दिया इस्तीफा



अमेरिकी अखबार 'द वॉशिंगटन पोस्ट' की पुलित्जर पुरस्कार विजेता कार्टूनिस्ट प्र. टेलनेस ने एक कार्टून के खारिज होने पर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल, टेलनेस ने अमेरिका के बड़े उद्योगपतियों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकते हुए दिखाया था, जिसे अखबार ने छापने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टेलनेस ने एक ब्लॉग लिख इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अखबार ने ओपिनियन सेक्शन के लिए बनाए उनके कार्टून को खारिज कर दिया। अखबार का यह फैसला प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। टेलनेस ने अपने कार्टून को भी साझा किया। उन्होंने कार्टून में अमेजन के मालिक जेफ बेजोस, मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, ओपेनएआई के सीओओ सैम आल्टमैन, लॉस एंजेलिस टाइम्स के पेट्रिक सून-शियांग और डिज्नी कंपनी के प्रतीक मिगी माउस को ट्रंप के सामने झुकता हुआ दिखाया था।

जगदीप सिंह

रोज कमाते हैं 48 करोड़ रुपये

भारतीय सौईओ जगदीप सिंह दुनिया के सबसे गरीब सौईओ हैं। इनका सालाना वेतन 17,520 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से दैनिक वेतन 48 करोड़ रुपये है। वे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। कंपनी क्वांटमस्टैक के संस्थापक हैं। क्वांटमस्टैक का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। हाल ही में वे स्टीव जॉब्स के सौईओ बने हैं।

स्विट्जरलैंड में

चेहरा ढंकेने पर लगा प्रतिबंध

स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर अपना चेहरा ढंकेने पर प्रतिबंध लागू हो गया। यह प्रतिबंध 2021 में पारित किया गया था। प्रतिबंध का उद्देश्य बनने वालों को 1000 स्विस फ्रैंक या 1100 डॉलर से अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। स्विस सरकार ने 6 नवंबर को 1 जनवरी, 2025 को प्रभावी होने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकेने पर प्रतिबंध लागू करने की तैयारी को धारा सुक्रु किए गए जनमत संग्रह के बाद किया गया था। प्रतिबंध हवाई जहाजों, राजनयिक या कॉन्सुल परिसरों, धार्मिक स्थलों या ऐसी स्थितियों पर लागू नहीं होता है जहां किसी के चेहरे को ढंकेने से स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है या स्थानीय रीति-रिवाजों का पालन करने में हस्तक्षेप होता है।

जोसेफ अइन

लेबनान के राष्ट्रपति बने

लेबनान की संसद ने दो राउंड की वोटिंग के बाद सेना प्रमुख जोसेफ अइन को राष्ट्रपति चुन लिया है। और को सऊदी-अमेरिका का करीबी माना जाता है। दो साल में पूर्व राष्ट्रपति मिशेल का उराशियाकारी चुनने के बलि संसद की यह 13वीं कोशिश थी। राष्ट्रपति बने के बाद उन्होंने सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शपथ ग्रहण करते हुए आर्थिक और राजनीतिक संकटों को दूर करने की कसम खाते हुए लेबनान के लिए नये युग की शुरुआत की घोषणा की। ज्ञात रहे कि लेबनान में अक्टूबर 2022 से ही राष्ट्रपति का पद खाली था।

वी. नारायणन

इसरो के नए प्रमुख होंगे

वॉरिअंतरिक्ष वैज्ञानिक वी. नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे 14 जनवरी को इसरो के वर्तमान प्रमुख एस. सोमनाथ से पदभार ग्रहण करेंगे। वह दो साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्य करेंगे। वर्तमान में नारायणन तमिलनाडु स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर (एलपीएससी) के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

स्मृति शेष

वैज्ञानिक राजगोपाल चिंदंबर का निधन

1975 और 1998 के परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक राजगोपाल चिंदंबर (88) का निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के जसलोक अस्पताल में अंतिम सांस ली। पद्मश्री और पद्मविभूषण से अलंकृत चिंदंबर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार रहे।

अभिनेत्री ओलिविया हसी आइसले का निधन

फ्रेंको जेफेरिनी की 'परिवोए एंड जूलिएट' (1968) में अपने अभिनय के लिए मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया हसी आइसले का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हसी आइसले को साल 2008 में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था। हालांकि, 2018 में वह ठीक हो गई थी। फिल्लोर रोमियो एंड जूलिएट ने 4 अकादमी पुरस्कार-निर्मितर शान्ति हासिल किए थे वहीं, ओलिविया की परफॉर्मस के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब और डेविड डी डोनाटेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

देश की

सांस्कृतिक समृद्धि का स्रोत हैं बहुरंगी कलाएं

भोपाल, राज्यपाल श्री मृंगभाई पटेल ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान परिसर स्थामला हिल्स, भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि देश की सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत बहुरंगी कलाएं हैं। यह हमारे अंदर की कोमल भावनाओं को जगाकर हमें मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है। कलाएं हमारी परम्पराओं, विरासतों, रीति-रिवाजों, संस्कारों, धर्म, समाज, भाषा आदि की विशिष्टताओं को सहजता और संक्षिप्त राहती हैं। उन्होंने इस अवसर पर देवभार के विजेता छात्र-छात्राओं को कला की विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किये और राष्ट्रीय कला उत्सव की विभिन्न विधाओं के निर्माताओं की सम्मानित किया। राज्यपाल श्री पटेल ने एनसीआरटी द्वारा आयोजित कला प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीआरटी के संयोजन से 3-6 जनवरी, 2025 तक किया गया। कला उत्सव में भारत के केन्द्रीय विद्यालय, नवयुव विद्यालय और एकलव्य विद्यालय के लगभग 61 प्रतिभागी शामिल हुए।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि कला उत्सव, देश की कला-संस्कृति की विरासत को शिक्षा के क्षेत्र में संक्षिप्त एवं प्रोत्साहित करने का प्रभावी प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों की प्रतिभा, कौशल को निखार कर उनका समग्र विकास कर 21वीं सदी के वैश्विक नेताओं के रूप में तैयार करने का प्रयत्न है। यह देश के बच्चों की असीम क्षमता को महसूस करने और विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि भावी पीढ़ी, अपनी संस्कृति के जिस स्वरूप को देखती है उसी के अनुरूप अपने जीवन के नये मूल्यों का निर्माण करती है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अनुभव आधारित शिक्षा के द्वारा, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से जोड़े और एक भारत-श्रेष्ठ भारत के गीतशाली वृद्धिको से परिचित और प्रेरित कराए।

प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन के साथ ही जल का हो रहा इष्टतम उपयोग

भोपाल, मंत्रालय सरकार द्वारा जल संरक्षण और जल संवर्धन के साथ ही जल के इष्टतम उपयोग में दक्षता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में वाद्युक्त सिंचाई प्रणाली के जरिए जल के अधिकतम उपयोग से जल के अल्पव्यय को कम किया गया है। इससे शेष जल का उपयोग सैन्थ क्षेत्र विस्तार, ग्रामीण एवं शहरी पेयजल आपूर्ति तथा अन्य क्षेत्रों में किया जाना संभव हो सकेगा। मोहनपुर कुंडविली की प्रसारणइध पावर प्रणाली की सफलता के बाद पदाती-काली-सिंचाई चबल नदी जोड़े परियोजना और केन-नेतवा नदी जोड़े परियोजना के माध्यम से जल की अधिकांता बाले क्षेत्रों से अतिरिक्त जल को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने तथा भण्डारण करने से कृषि और पौलु उपयोग के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

जल संसाधन विभाग के संचय श्री जॉन किंसली ए.आर. ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित जल और पर्यावरण पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रांभ अवसर पर उक्त विचार व्यक्त किया। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के पर्यवहार और जल संसाधन संरक्षण और पर्यावरण जल संसाधन विभाग एवं अंत्योद्योग प्रबोधन संस्थान के संयोजन से किया गया है।

राजनीतिक साहित्य का योगदान रहा है। रचनाकारों ने साहित्य को हमारे समक्ष अनेक विधाओं में प्रस्तुत किया है। सभी तरह की शैली, पद्य और कविताओं के माध्यम से जटिल विषयों को समझाने का प्रयास किया जाता है। यही साहित्य की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब कुछ भी और कैसा भी साहित्य छप रहा है। ऐसे में अर्चना प्रकाशन ने न केवल अपनी गुणवत्ता को बनाने रखा खाने राष्ट्रवादी साहित्य और संस्कृति को संजोखने वाले साहित्य के लिए अर्चना प्रकाशन ने कोई समझौता नहीं किया। भारतीय संस्कृति

सहजने और संवांने का जो कार्य अर्चना प्रकाशन ने किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये उतनी कम है।

उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही विद्विधियों की पद्य, सुक्तियां आदि हमारे वेद ग्रंथों में हैं। अगर हम क्रुचेद देखें तो सारईस महिला रचनाकार थीं। निम्नोसे सुक्तों की रचनाएं की हैं। ऐसा कोई भी प्राचीन ग्रंथ नहीं है, जिसमें महिला साहित्यकार का उल्लेख न हो। गार्गी और मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अदिति मारगन दार्शनिक वैदिक ऋचाओं की दृष्टा और व्याख्याता थीं।

महाराजा छत्रपाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
 E-mail: mchbtrasaluniversity@gmail.com
 Website : www.mcbu.ac.in
 विज्ञापन क्र. 246/प्राग./विज्ञापन/2025 छतरपुर, दिनांक : 09.01.2025

शैक्षणिक संघर्ष के सहायक प्राध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती विज्ञापन 2025

महाराजा छत्रपाल बुन्देलखण्ड, विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) के शैक्षणिक विभाग में 10 विषयों के शैक्षणिक संघर्ष के सहायक प्राध्यापक के कुल रिक्त 40 पदों पर सीधी भर्ती के निम्नलिखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित अर्हतापत्रों अर्थात्पत्रों से आवेदन पर दिनांक 11.02.2025 सय 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापित पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

सहायक प्राध्यापक - 40 पद - (बैच-प्रौद्योगिकी-04, वनस्पतिशास्त्र-04, रसायनशास्त्र-04, वाणिज्य-04, अग्नेयी-04, प्रागैतिस-04, गणित-04, सूक्ष्म जीवविज्ञान -04, भौतिकशास्त्र-04, समाजशास्त्र-04) रिक्त पदों का विस्तृत विवरण/आवेदन प्रक्र./सामान्य नियम एवं शर्तों आदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://mcbu.ac.in> पर उपलब्ध है।

म.प्र. माध्यम/118258/2025 कुलसचिव
R-50469/2025

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
 कार्यालय परियोजना यंत्री, पुलिस लाइन, रीवा (म.प्र.)
 फोन : 9425601556, 9340714903

विज्ञापित

संभाग रीवा के अंतर्गत बिला रीवा में निर्माण कार्य एवं विभिन्न मरम्मत कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 10/2024-25 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक MPPHCL/TENDER No. 2025 MPPHC/394799.1, 394824, 394843, 394851, 394867) आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा प्रपत्र दिनांक **25.01.2025 सय 17:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : <http://www.mptenders.gov.in>** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/118251/2025 परियोजना यंत्री
R-50467/2025

SUSHILA TEACHERS TRAINING INSTITUTE (BAGER)

B.Ed. Faculty Required
 (Under College Code-28)
 Minimum Qualification as per NCTE/UGC norms.
 Applications are invited for B.Ed. course as follows:

S. No.	Post	No. of Posts
01	Principal	01
02	Assistant Professor	05

Salary as per NCTE/UGC norms: Apply within 20 days with all required documents.
 Minimum qualification UG/Pg with 55%
(EACH ONE-SCIENCE, MATHEMATICS, PSYCHOLOGY, HISTORY, SOCIOLOGY, GEOGRAPHY, CIVICS, ECONOMICS, HINDI, ENGLISH)
B.ED, M.ED - COMPULSORY (PHD, NET, SLAT)
 Send your CV On - E-mail : sttibager101@gmail.com
 Contact Us : +91 9039830850, +91 9200920850
 Add. Village or Post - Bager, Tehsil - Ashla District- Sehore (Madhya Pradesh). R-50470/2025

MADHYA PRADESH INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
 (Government of M.P. Undertaking), (CIN : U51102MP19775G001392)
 SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM, 21, Arera Hills, Bhopal-462011, M.P. (India)
 Tel. : (011) 735-2571830, 2575618, 3523561, 3523565
 E-mail : helpdesk@mpidc.co.in, Website : www.invest.mp.gov.in
 NIT No. MPIDC/Tech-RFP/CE/2025/188-190 Date : 10.01.2025

NOTICE INVITING TENDER

Online percentage rate bids for the following work are invited on behalf of Managing Director, MPIDC from MP PWD centralized registered contractors and firms:

NIT No.	Name of Work	District	Probable Amount of Contract (in Rs. Cr.)
188	Civil Infrastructure Development work of Industrial Park, Suwasra (Semliakakad), dist. Mandsaour	Mandsaur	41.22
189	Construction of 220KV Feeder Bay -2 NOS and 220 KV DCDS line from 400 KV S/S Pithampur (MPPCTL) to proposed 220KV MPIDC S/S Sector-7, Pithampur with ZEBRA ACSR Conductor & Construction of 220/132/33 KV S/S in MPIDC S/S Sector-7, Pithampur	Dhar	120.14
190	Civil Infrastructure Development work of Industrial Area, Lalbagh, dist. Dhar	Dhar	121.04

The Tender documents can be downloaded from the e-procurement Portal- <https://mptenders.gov.in>
 M.P. Madhyam/118256/2025 CHIEF ENGINEER
R-50468/2025

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004
 e-mail : dhc.sthapa@mp.gov.in Phone no. 0755-2551698

दिव्यांगजनों हेतु विशेष भर्ती अभियान

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र. एक भोपाल दिनांक 04 जनवरी 2024 एवं मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का परिपत्र क्रमांक 870/1595754/2020/38-1 भोपाल दिनांक 05.06.2024 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में निम्नानुसार पदों पर चयन हेतु दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है। पद की रिक्ति/शैक्षणिक अर्हता, वेतनमान निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	कुल रिक्त पद	दिव्यांगजन के लिये आरक्षित रिक्तियाँ	वेतनमान (रु. में)	शैक्षणिक अर्हताएं	वॉक इन इन्टरव्यू की तिथि
1	कार्यालय सहायक	03	वॉक इन इन्टरव्यू के लिये आरक्षित, बौद्धिक क्षमता मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	15500-49000 (लेवल-1)	उत्तरी	20.01.2025

उपरोक्त निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले दिव्यांगजन अर्थात्पत्रों को वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय समय में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.01.2025 है। इस तिथि उपरान्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं प्राप्त आवेदनों में से निम्नानुसार उचित पाये गये अर्थात्पत्रों को वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु पुस्क से सूचित किया जायेगा। आवश्यक विषय एवं निर्देश तथा आवेदन पत्र का प्राप्य उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर अपलोड है।
 दिनांक 31.12.2024
 जी-21451/50460/2025 आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-इंदौर
 कक्ष क्र. 216, द्वितीय तल, प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला, इंदौर
 दूरभाष नं. : 0731-2449117, फैक्स नं. : 2471117, मेल आई.डी. : deoindore@gmail.com
 क्रमांक-24/भा.नि./लेखा/2025 इंदौर, दिनांक : 03.02.2025

ई-निविदा प्रपत्र

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के आदेश पर 4/1/स्था/2009/वि.निर्वा./160 भोपाल दिनांक 07.06.2016 तथा मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग के आदेश क्र. 4/1/स्था/2009/वि.निर्वा./4382 भोपाल दिनांक 20.04.2018 द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय जिला निर्वाचक रजिस्ट्रार अधिकारी के कार्यालय एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रार अधिकारियों के कार्यालय स्थल हेतु नवीन पत्र तैयार रूप से निर्मित करने की स्वीकृति अनुसार पदों की पूर्ति करने हेतु मान्य संसाधन प्रदायकाओं के स्थान से निम्नानुसार ई-निविदा (Two Bid Tender System-Envelope A.C) आमंत्रित की जाती है। निविदा का अनुमानित मूल्य रु. 9,96,00,000/- (अक्षरी रूपसे नव्याने लाख मात्र) है। निविदा का विस्तृत विवरण <http://mptenders.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 20000/- ऑनलाइन देय है। निविदा प्रत्यूक्ति राशि रु. 2,88,000/- (अक्षरी राशि रुपये दो लाख अठ्ठासी हजार मात्र) है जो कि ऑनलाइन देय है।

पदों का विवरण -

स.क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार
1	सहायक प्रोग्रामर	10	कलेक्टर दर से	आउटसोर्स
2	डाटा एंट्री ऑपरेटर	29	कलेक्टर दर से	आउटसोर्स
3	भूय	01	कलेक्टर दर से	आउटसोर्स

निविदा जमा करने एवं खोलने संबंधी विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा क्रय करने की आरंभिक तिथि	13.01.2024	10.00 am
2	निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि	03.02.2025	12.00 am
3	निविदा भले की अंतिम तिथि (Online)	03.02.2025	05.00 pm
4	सिलाफा A (Mandatory Submission) खोलने का दिनांक	05.02.2025	0.30 pm
5	सिलाफा C (Mandatory Submission) खोलने का दिनांक		पुस्क से सूचित किया जायेगा।

उक्त कार्यालय कार्यालय कलेक्टर, सेलेंटाइट भवन के कक्ष क्र. 203 में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधि के समक्ष निम्नलिखित समिति के द्वारा की जायेगी।
 निविदा संबंधी जानकारी www.indore.nic.in पर भी उपलब्ध है। निविदा के संबंध में दूरभाष क्रमांक 0731-2449117 एवं Email ID : deoindore@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है।
 नोट :- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र के माध्यम से नहीं किया जायेगा। एवं केवल indore.nic.in कलेक्टर, इंदौर की वेबसाइट indore.nic.in पर ही प्रकाशित किया जायेगा।
 जी-21281/50436/2025 अपर कलेक्टर एवं उच्च जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इंदौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन
 Email: cewrdujn@yahoo.com

विज्ञापित
 विज्ञापित क्रमांक 03/वलेलि/2024 उज्जैन, दिनांक : 1.1.2025

जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के अधीन कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उज्जैन में मासिक किराये पर 3 वर्ष के लिए निर्धारित अर्हतापत्रों कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं, डेटाबेस, बहुदेशीय प्रिंटर एवं अन्य अनिवार्य उपकरणों के साथ लिया जाना है।
 इच्छुक आवेदक अपना मोहरबंद प्रस्ताव दिनांक 27.01.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक कार्यालय कार्यालय यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन में जमा कर सकते हैं।
 विस्तृत विवरण जल संसाधन विभाग की वेबसाइट <http://www.mpwrdd.gov.in> पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

स. क्र.	कार्यालय का नाम एवं पता (जहाँ कार्य के लिए नियोजन होगा है)	कार्यालय में वांछित कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या
3	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन	01

कार्यालयन यंत्री
जल संसाधन संभाग, उज्जैन

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाराणी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश
 पिपकोड- 462002, टेलीफोन नंबर 0755-2660717
 ईमेल : hegmlbgpcebho@mp.gov.in, वेबसाइट : <https://highereducation.mp.gov.in/?orgid=85>
 क्र. 051/म.ल.ब.र.स्था/2025 भोपाल, दिनांक : 06.01.2025

विज्ञापित

महाविद्यालय में सन 2024-25 हेतु Lab Equipment कंत्र हेतु निविदा mp-e-tender पोर्टल www.mptenders.gov.in के माध्यम से टेण्डर आई टी. 2024_HED_391801_1 द्वारा किया जाना है। पोर्टल पर निविदा की आरंभ तिथि 30.12.2024 एवं अंतिम तिथि दिनांक 13.01.2025 है। इच्छुक प्रदायकाओं फर्म नो.ई. टेण्डर पोर्टल पर दर्शित नियम एवं शर्तों और अन्न सामग्री की सूची के अनुसार संपूर्णतः हो सकते हैं। निविदा पत्र का मूल्य रु. 500/- (पाँचपनी) रुपये नहीं है। कंत्र प्रक्रिया सहीमान में म.प्र. भंडार क्रय नियम तथा सेवा सार्वजनिक विधम 2015 (स्था संशोधित-2022) के अनुसार की जायेगी। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन www.mptender.gov.in एवं महाविद्यालय की वेबसाइट <https://highereducation.mp.gov.in/?orgid=85> पर ही किया जाएगा, पुस्क से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।
 नोट - For clarification please contact at collage email id - hegmlbgpcebho@mp.gov.in
 जी-21286/50439/2025 प्राचार्य, शासकीय महाराणी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल-462002



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) परीक्षा-2022, परीक्षा दिनांक 17.11.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापि क्र.-13834/06/2025/अनु.-10

इंदौर, दिनांक : 08.01.2025

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-39/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14.04.2023।

- विज्ञापि क्रमांक-12649/2022/अनु.-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केबिप्ट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-01/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संबंध में)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-05/39/2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक दर्शनशास्त्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022, दिनांक 28.03.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु), एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022, दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु), एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-13/16-53/2022 दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक दर्शनशास्त्र हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)
- शुद्धि पत्र क्रमांक-1/39/2022, दिनांक 10.09.2024 सहायक प्राध्यापक दर्शनशास्त्र परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग की जानकारी

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम सत्र पर सामान्य अद्ययन प्रता: 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय सत्र पर दर्शनशास्त्र दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पदों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	5	-	4	2	1	12
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	2	-	1	1	-	4
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	-	-	-	-	-	-

सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल 37 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकां सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (PHILOSOPHY)-PART A (MAIN)

ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	420014	14.	420189	27.	420339
2.	420019	15.	420193	28.	420345
3.	420022	16.	420195	29.	420351
4.	420036	17.	420248	30.	420365
5.	420064	18.	420254	31.	420380
6.	420067	19.	420258	32.	420398
7.	420122	20.	420272	33.	420428
8.	420127	21.	420280	34.	420429
9.	420128	22.	420295	35.	420434
10.	420144	23.	420314	36.	420446
11.	420162	24.	420321	37.	420461
12.	420175	25.	420332		
13.	420187	26.	420335		

साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक : 39/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम : सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) परीक्षा- 2022	अनुक्रमांक:-	अध्यक्ष का नाम :-
स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरींग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरींग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाण फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवेचित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक

7.	हाईस्कूल की अंकेसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेंडरी की अंकेसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकेसूचियां एवं अपाधि। (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	पदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अभ्यापन अभुव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीवन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रती। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाचक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं में अर्हगीरति प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष :- (1) विज्ञापन क्रमांक-39/2022/30.12.2022 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15.03.2023 से दिनांक 14.04.2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (2) आयोग के शुद्धि पत्र दिनांक 10.01.2023, 25.07.2023 एवं 18.12.2023 अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (3) आयोग के शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.04.2024 से दिनांक 13.04.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहपत्र उपायन परिवर्तन की स्थिति में शासक की प्रती। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र की प्रती। अनापति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रती संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अधिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रती/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रती/दुयविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
21.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी 'अभिवचन पत्र' की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
23.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वरिष्ठ अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त (शेष अगले पृष्ठ पर)

अध्यक्ष के हस्ताक्षर:-

मुख्यालय राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल, मध्यप्रदेश

पुलिस ऑफिसर मेस के सामने, भोपाल द्वारा नीचे दर्शित तालिका अनुसार निम्नलिखित सामग्री हेतु ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्रमांक/03/डिवी.कमा./आ.प्र./2025

भोपाल, दिनांक : 03.01.2025

ई-निविदा सूचना

महानिदेशक, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश की ओर से संगणकीय सेनानी, आपदा प्रबंधन, म.प्र. भोपाल, पुलिस ऑफिसर मेस के सामने, भोपाल द्वारा नीचे दर्शित तालिका अनुसार निम्नलिखित सामग्री हेतु ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

स.क्र.	सामग्री का नाम	विड क्रमांक/दिनांक	संख्या
01	रोप क्लॉसिंग/पेगिंग (12 एमएम) 100 मीटर	GEM/2025/B/5779802 Dated 03.01.2025	104 नग

- होमगार्ड मध्यप्रदेश की वेबसाइट (www.homeguard.mp.gov.in) पर निविदा प्रारण एवं विस्तृत जानकारी डाउनलोड की जा सकता है।
- समय सारणी
 - निविदा प्रारण डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि : 03.01.2025 के 13.00 बजे से
 - ऑनलाइन निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि : 03.01.2025 के 13.00 बजे से
 - ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 17.01.2025 के 13.00 बजे से
 - निविदा खोलने की तिथि : 17.01.2025 के 13.30 बजे से

संगणकीय सेनानी

जी-21241/50433/2025

एसडीआईआरएफ (म.प्र.) भोपाल

**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
खण्ड 'घ' प्रथम ताल विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004 (मध्यप्रदेश)**

विज्ञापन

प्रदेश के समस्त जिलों में विद्युत उपभोक्ता अधिकार दिवस दिनांक (15 मार्च 2025) के अवसर पर, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वीचिक उपभोक्ता संगठनों/व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार दिया जावेगा। उपरोक्त पुरस्कारों के लिये ऐसे संगठनों/व्यक्तियों का चयन दिनांक 1 जनवरी 2024 से दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि में की गई गतिविधियों के आधार पर किया जावेगा।

राज्य स्तरीय तीन पुरस्कार चयन प्रक्रिया पर निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे :-

1	प्रथम पुरस्कार	राशि रुपये	1,11,000/-
2	द्वितीय पुरस्कार	राशि रुपये	51,000/-
3	तृतीय पुरस्कार	राशि रुपये	25,000/-

प्रदेश के समस्त जिलों में निम्नानुसार तीन पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे :-

1	प्रथम पुरस्कार	राशि रुपये	21,000/-
2	द्वितीय पुरस्कार	राशि रुपये	11,000/-
3	तृतीय पुरस्कार	राशि रुपये	5,000/-

यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय आवेदन पत्र-पुस्तक स्वीकार किये जायेंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन के मुख्य पत्र पर 'राज्यस्तरीय पुरस्कार वर्ष 2024-25 हेतु' एवं 'संभाग स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2024-25 हेतु' सुस्पष्ट रूप से लिखा जाये। आवेदन प्रारूप 'क' (विभाग की वेबसाइट www.food.mp.gov.in पर उपलब्ध है) आवेदन दिनांक 23 जनवरी 2025 तक संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर (खाद्य) में स्वीकार किये जायेंगे, इस संबंध में बिना कलेक्टर की अनुमति के आवेदन सोचे संचालनालय खाद्य में स्वीकार नहीं किये जायेंगे, विलंब से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिये संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर (खाद्य) से संपर्क किया जा सकता है। विगत वर्ष राज्य स्तरीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय पुरस्कार प्राप्त संस्थाओं के आवेदन पर चयन समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

आयुक्त

जी-21194/50432/2025

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन)

लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन, प्लान नं. 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं.-22/2024/निविदा/सा/पु.अ.भ./

भोपाल, दिनांक : 30.12.2024

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत टेकेंडरों अथवा पंजीवन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. लोक निर्माण विभाग, (भवन) सोहोदर में निर्माण कार्य हेतु आर्किटेक्चरल डिजाइन एवं डीपीआर कंसल्टेंट इंश्योरेंस (उपय आमंत्रण)

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	टेकेंडर के अनु. राशि (पीएमसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रवचन (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2025_PWPIU_392585_1	सीहोर	10000/-	200000/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल भगवतपुर ब्लॉक लटेरी, जिला विदिशा का निर्माण (उपय आमंत्रण)

2024_PWPIU_391924_1	विदिशा	10137	101370	12500	12 माह वर्षाकाल सहित
---------------------	--------	-------	--------	-------	----------------------

- निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट <http://mptenders.gov.in> पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते।
- निविदा प्रवचन का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर फ्रेडिड/डेबिट/क्रेडिट/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रवचन खरीदा जा सकेगा।
- निविदा प्रवचन केवल ऑनलाइन दिनांक 30.12.2024 सम्य 10.30 से दिनांक 15.01.2024 सम्य 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
- निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन प्रश्न दिनांक 1 जनवरी 2025 तक किये जायेंगे, पुश्क से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता (भवन)

जी-21290/50437/2025

लोक निर्माण विभाग भोपाल

कार्यालय मुख्य अभियंता

लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 19/पु.अ. (सेतु परिक्षेत्र)/वर्ष 2024-25 भोपाल, दिनांक : 02.01.2025
निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. दमोह जिले के जर्नीय सिमरी मार्ग के ब्यामा नदी पर जलमयीय पुल निर्माण सूचना कार्य एवं ऋ.पी. कनवर्ट सहित का कार्य।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का आसंमंत्रण प्रकाश क्र.	कार्य की राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित समग्रुप (रु. लाख में)	दस्तावेज जमा करने हेतु
2025_PWDRB392460_1	दमोह	पुल कार्य	687.27	687.27	केवल ऑनलाइन

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रवचन (टेण्डर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रवचन क्रय करने की अंतिम तिथि 24.01.2025 (17.30) बजे निर्धारित है। विस्तृत ए.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पुश्क से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता

जी-21312/50442/2025

लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र, भोपाल

(पिछले पृष्ठ का शेष)

परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुसूचक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 30.01.2025 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरान्त सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पुश्क से घोषित की जाएगी।

06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-

आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 30.01.2025 के पश्चात् कार्यालय दिवस/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की गणना राशि ए.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात् अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,00,00/- (तीन लाख मात्र)	दिनांक 31.01.2025 से 06.02.2025 तक
02. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक राशि रुपये 6 से 10 दिवस तक राशि रुपये 25,00,00/- (पच्चीस लाख मात्र)	दिनांक 07.02.2025 से 13.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

- सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्राथमिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) परीक्षा-2022 के लिए अपेक्षित निर्णय एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

- सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पुश्क से घोषित की जाएगी।
- न्यायालयीय प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई बाधित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- साक्षात्कार हेतु प्रारणित एवं अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुश्कल युटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम सूची ही प्रमाणिक माननी जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जनगणना/टी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में सचिवा आचार्य एवं कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- निर्णय परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तक्रारीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) परीक्षा-2022 की अंतिम उपायुक्तियों में विलोपित किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् दोनों प्रश्न पत्रों के लिए न्यूनतम उतीकण की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक स्थानांत है।
- अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 30.01.2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवयव लिखें।

जी-21482/50463/2025

उप परीक्षा नियंत्रक



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) परीक्षा-2022, परीक्षा दिनांक 17.11.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापन क्र.-13832/03/2025/अनु-10

इंदौर, दिनांक : 08.01.2025

मध्य प्रदेशा लोका सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-42/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 27.04.2023

1.	विज्ञापन क्रमांक-12652/2022/अनु-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविए याचिका दाखल करने के संबंध में सूचना)
2.	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)
3.	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संदर्भ में)
4.	शुद्धि पत्र क्रमांक-03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)
5.	शुद्धि पत्र क्रमांक-05/42/2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)
6.	शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022, दिनांक 28.03.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु), एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
7.	शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022, दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु), एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
8.	शुद्धि पत्र क्रमांक-13/16-53/2022, दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)
9.	शुद्धि पत्र क्रमांक-11/42/2022, दिनांक 10.09.2024 सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य भाग एवं प्राथमिक भाग की जानकारी

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम सत्र पर सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय सत्र पर मनोविज्ञान दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पदों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	8	1	7	1	1	18
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	3	-	2	-	-	5
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)				(PH-NA)		-

सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्राथमिक रूप से अर्ह कुल 37 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (PSYCHOLOGY)-PART A (MAIN)

ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	430015	14.	430153	27.	430311
2.	430016	15.	430172	28.	430343
3.	430039	16.	430190	29.	430350
4.	430047	17.	430214	30.	430363
5.	430056	18.	430231	31.	430404
6.	430078	19.	430241	32.	430419
7.	430081	20.	430243	33.	430438
8.	430107	21.	430247	34.	430439
9.	430118	22.	430261	35.	430454
10.	430125	23.	430265	36.	430506
11.	430126	24.	430277	37.	430518
12.	430142	25.	430282		
13.	430152	26.	430308		

साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक :	पद/परीक्षा का नाम : सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) परीक्षा- 2022		
अनुक्रमांक :-	अभ्यर्थी का नाम :-		
स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक

2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियाँ (केवल मूल प्रति पर नमबरीय करना है। छायाप्रतियों पर नमबरीय नहीं करना है)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किंसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हाईस्कूल की अंकसूची (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेंडरी की अंकसूची (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियाँ एवं अपाथि (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नेट-मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का राज्यार कायालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाचक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वितीय वर्ष :- (1) विज्ञापन क्रमांक-42/2022/30.12.2022 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28.03.2023 से दिनांक 27.04.2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वितीय वर्ष 2022-2023 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (2) आयोग के शुद्धि पत्र दिनांक 10.01.2023, 25.07.2023 एवं 18.12.2023 अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वितीय वर्ष 2023-2024 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (3) आयोग के शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.04.2024 से दिनांक 13.04.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वितीय वर्ष 2024-2025 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिपत्रक पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियुक्ति द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक

(पिछले पृष्ठ का शेष)

21.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी 'अभिवचन पत्र' की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
23.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक
कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)			

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रश्न-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्नक दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक **30.01.2025** तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग विभागीय नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अर्ह अवसंकेत जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की यात्रा होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 तक निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-
आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित **अंतिम तिथि 30.01.2025** के पश्चात कार्यालयीन दिवस/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की गणना राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र) दिनांक 31.01.2025 से 06.02.2025 तक

02. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) दिनांक 07.02.2025 से 13.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी :-

- सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्राथमिक है। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) परीक्षा-2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- अंतिमलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- साक्षात्कार हेतु प्राथमिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि भ्रष्टण नृदियों के लिए आयोग विम्बेदना नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्धान् (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जम्भागीदारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में सचिवा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्धान् के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञा में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी में त्रुटिपूर्ण किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् पूर्णों प्रश्नों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णकी गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक यथावत है।
- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक **30.01.2025** तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी एरिया, इंदौर
अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाके पर सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अत्यव्य लिखें।
जी-21457/50461/2025 **उप परीक्षा निबंधक**

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन)

लोक निर्माण विभाग ओल्ड पलासिया, इंदौर (म.प्र.)

ईमेल : apdplundore@gmail.com, फ़ैक्स : 0731-4989768
क्र. एक-3/सामान्य/वि.प्र. अनुमोदन/मु.अ. (भवन) 2025/एनआईटी-22/01 इंदौर, दिनांक : 03.01.2025

निस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 22/2024

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की और से लोक निर्माण विभाग, परिक्षेत्र इंदौर के अंतर्गत निम्नांकित निर्माण कार्य हेतु केन्द्रीयकृत पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत निविदा श्रेणी में पंजीयन देनादार से लोक निर्माण विभाग, म.प्र. द्वारा दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशाली ए.ओ.आर. एवं निविदा सूचना प्रकाशन तिथि संगोपित, निर्धारित तिथि (Key-Date) अनुसार के आधार पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल <http://mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. एवं कार्य का नाम :-	1. मरौटी प्राथमिक विद्यालय बोरावा खूई जिला बुरुहानपुर में भवन का निर्माण कार्य	पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. (रु. लाख में)	अमान्य राशि (रु. में)	निविदा प्रथम भाग (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (साह में वर्ष/काल सहित)
2025_PWPIU_392437-I	बुरुहानपुर	34.89	50000/-	5000/-	9		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. मरौटी प्राथमिक विद्यालय दारोग जिला बुरुहानपुर में भवन का निर्माण कार्य							
2025_PWPIU_392421-I	बुरुहानपुर	34.89	50000/-	5000/-	9		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 3. बुरुहानपुर जिला बुरुहानपुर में 100 सीटें केजीबीबी टीएफ-III छात्रावास भवन का निर्माण कार्य							
2025_PWPIU_392408-I	बुरुहानपुर	153.44	153440/-	12500/-	12		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 4. ग्राम सांगंची (खारोण), हीरानुपुर (भावावनुपुर), बोरोखड़ा (भावावनुपुर) एवं सुल्तानपुर (भावावनुपुर) जिला खारोण में नवीन प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य							
2025_PWPIU_392538-I	खारोण	139.55	139550/-	12500/-	12		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 5. कोंदिया जिला खारोण में नवीन प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य							
2025_PWPIU_392517-I	खारोण	34.89	50000/-	5000/-	9		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 6. बलवाड़ा जिला खारोण में नवीन प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य							
2025_PWPIU_392492-I	खारोण	41.14	50000/-	5000/-	9		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 7. काकड़वा जिला खारोण में नवीन प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य							
2025_PWPIU_392504-I	खारोण	41.14	50000/-	5000/-	9		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 8. दानोद, रेहनु (सिलावण), बिलवा रोड, खोखरी एवं बादापुरी बनिहार में शासकीय प्राथमिक विद्यालय भवन तथा धरना, बुराणों एवं बालिका टीकरों में शासकीय माध्यमिक भवन जिला बुरुहानपुर में भवन का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_391917-I	बुरुहानपुर	307.03	307030/-	15000/-	14		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 9. उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में पवेलियन का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_391987-I	उज्जैन	72.99	72990/-	10000/-	12		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 10. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रकल्प समिति द्वारा ग्राम भोगोटा जिला उज्जैन में गौशाला निर्माण कार्य							
2025_PWPIU_392194-I	उज्जैन	1612.41	1600000/-	30000/-	24		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 11. शासकीय केजीबीबी टीएफ-III छात्रावास कोरवा (जावट) जिला नीमच का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_391960-I	मंसरी	234.24	234240/-	15000/-	12		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 12. शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन नीमच में 03 लैब एवं 04 अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_391979-I	मंसरी	97.99	97990/-	10000/-	8		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 14. शासकीय माध्यमिक शाला भवन धारडी जिला नीमच का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_391972-I	मंसरी	41.13	41130/-	5000/-	6		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 15. ग्राम साजनुपुर जिला अलीराजपुर में 100 सीटर केजीबीबी टीएफ III छात्रावास भवन का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_392094-I	अलीराजपुर	143.95	143950/-	12500/-	12		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 16. ग्राम डोबलाडीरी जिला अलीराजपुर में 100 सीटर केजीबीबी टीएफ III छात्रावास भवन का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_392082-I	अलीराजपुर	143.95	143950/-	12500/-	12		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 17. ग्राम देवेली जिला अलीराजपुर में 100 सीटर केजीबीबी टीएफ III छात्रावास भवन का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_392089-I	अलीराजपुर	143.95	143950/-	12500/-	12		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 18. शासकीय प्राथमिक स्कूल आम्बाडबेरी जिला अलीराजपुर में भवन का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_392063-I	अलीराजपुर	34.59	50000/-	5000/-	6		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 19. शासकीय प्राथमिक स्कूल धामना जिला अलीराजपुर में भवन का निर्माण कार्य							
2025_PWPIU_392034-I	अलीराजपुर	34.59	50000/-	5000/-	6		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 20. शासकीय प्राथमिक स्कूल बेडडुवा जिला अलीराजपुर में भवन का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_392024-I	अलीराजपुर	34.59	50000/-	5000/-	6		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 21. अम्बा डबेली जिला अलीराजपुर में हाईस्कूल भवन का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_392016-I	अलीराजपुर	114.56	114560/-	12500/-	12		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 22. ग्राम ढाकना ब्लाक खालवा जिला खण्डवा में प्राथमरी स्कूल भवन का निर्माण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)							
2024_PWPIU_391996-I	खण्डवा	34.89	50000/-	5000	6		
क्र. एवं कार्य का नाम :- 23. खण्डवा जिला खण्डवा में ई-लाइवरी भवन का निर्माण कार्य							
2024_PWPIU_391835-I	खण्डवा	196.40	196400	12500	12		

निविदा संबंधित तिथियां (Key-Date) :-
1. प्रथम क्रय करने की प्राथमिक तिथि - 01.01.2025
2. बिड प्रस्तुत करने की प्राथमिक तिथि - 02.01.2025
3. बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 16.01.2025
4. बिड खोलने की तिथि - 20.01.2025
जी-21296/50438/2025 **मुख्य अभियंता (भवन) लो.नि.वि. परिक्षेत्र, इंदौर**



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) परीक्षा-2022, परीक्षा दिनांक 17.11.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापन क्र.-13765/02/2025/अनु-10

इंदौर, दिनांक : 07.01.2025

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. विज्ञापन क्रमांक-38/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 11.05.2023

1. विज्ञापन क्रमांक-12648/2022/अनु-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविएट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)	
2. शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16/2022 से 53/2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)	
3. शुद्धि पत्र क्रमांक-02/16/2022 से 51/2022, दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संदर्भ में)	
4. शुद्धि पत्र क्रमांक-03/16/2022 से 53/2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)	
5. शुद्धि पत्र क्रमांक-05/38/2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक चित्रकला हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)	
6. शुद्धि पत्र क्रमांक-07/16-53/2022, दिनांक 28.03.2024 (संशोधित तिथि निम्नानुसार) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)	
7. शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022, दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि निम्नानुसार) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)	
8. शुद्धि पत्र क्रमांक-10/19,20,22,32,43,45/2022 दिनांक 02.09.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022) 06 विषयों की ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः प्रारंभ करने की सूचना	
9. शुद्धि पत्र क्रमांक-13/16-53/2022, दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक चित्रकला हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)	
10. शुद्धि पत्र क्रमांक-11/38/2022, दिनांक 10.09.2024 सहायक प्राध्यापक चित्रकला परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग की जानकारी	

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सों प्रथम पत्र प्र समाप्त अध्ययन प्राप्त: 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय पत्र प्र चित्रकला दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।
03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है -

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	4	-	2	-	-	6
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	1	-	1	-	-	2
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)			(PH-VH-1)			1

सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल 17 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (PAINTING / DRAWING)-PART A (MAIN)

ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	410043	6.	410149	11.	410202	16.	410329
2.	410055	7.	410153	12.	410288	17.	410337
3.	410061	8.	410161	13.	410292		
4.	410107	9.	410172	14.	410323		
5.	410142	10.	410189	15.	410328		

साक्षात्कार के लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निदेश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक : 38/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम : सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) परीक्षा- 2022
अनुक्रमांक:-	अभ्यर्थी का नाम :-

स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थित पत्रक-1 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक

4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियाँ (केवल मूल प्रति पर नम्बरींग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरींग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किंसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हार्डकॉपी की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियाँ एवं उपाधि (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्राथम में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का राजभार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाचक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सहाम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्राथम में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र की प्रति अनापति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति	पृष्ठ क्रमांक से तक
19.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोजन द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/द्वैत/विद्यमान लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक से तक
20.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज	पृष्ठ क्रमांक से तक
21.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी 'अभिवचन पत्र' की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
22.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक से तक

कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वरिष्ठ अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 29.01.2025 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। निम्न अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होने उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग (शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल (म.प्र.)

Phone (O) : 0755-2742263, Fax : 0755-2742250, Email : Jsecjbpl@mp.gov.in

पत्र क्र. 05/निवाह/2025

भोपाल, दिनांक : 03.01.2025

संयुक्त संचालक

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल

प्रेस विज्ञप्ति

विशेष अभियान के तहत नि:शुक्रजनों के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की भर्ती हेतु विज्ञापन

ईमेल : dirfood@mp.nic.in, दूरभाष क्रमांक : 0755-2551479

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एफ दिनांक 04.01.2024 के प्रावधानों अनुसार विशेष अभियान के तहत नि:शुक्रजनों के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की भर्ती वाक इन इष्टतम के प्राधान्य से की जानी है। आवेदन पत्र इस पत्र हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखते हुए नीचे दर्शाए गए विहित प्रारूप में विज्ञापन जारी होने की तिथि से दिनांक 15.01.2025 तक कार्यालयीन समय सार्य 6.00 बजे (अवकाश के दिवस को छोड़कर) सहायक संचालक, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, विद्यालय भवन प्रथम तल, भोपाल पिन कोड-462004 के नाम से संबंधित कर प्रेषित कर्ना निर्धारित समय पश्चात प्राप्त होने वाले पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक से हुए विलंब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। रिक्त पदों का विवरण वेतनमान योग्यता एवं बॉन्ड-इन-इष्टतम के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	दिनांक व समय	स्थान
1.	प्री-बिड मीटिंग	21.01.2025 दोपहर 12.00 बजे	संबंधित जेल अधीक्षक कार्यालय में, जिस जेल हेतु निविदा प्रस्तुत की जाना है।
2.	निविदा फार्मों क्रय करने की अंतिम तिथि	01.02.2025 शाम 06 बजे तक	वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर फार्म ऑनलाइन क्रय किये जा सकेंगे।
3.	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	01.02.2025 शाम 06 बजे तक	वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत की जायेगी।
4.	नमूने जमा करने की अंतिम तिथि (उक्त दिनांक को नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण भी किया जायेगा)	03.02.2025 दोपहर 12 बजे तक	संबंधित जेल अधीक्षक कार्यालय में, जिस जेल हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है।
5.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	04.02.2025 दोपहर 12 बजे	संबंधित जेल अधीक्षक कार्यालय में, जिस जेल हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है।
6.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	07.02.2025 दोपहर 12 बजे	संबंधित जेल अधीक्षक कार्यालय में, जिस जेल हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है।

ई-निविदा की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। ई-निविदा में किया गया कोई भी संशोधन वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर अपलोड किया जायेगा, सक्ती सूचना पृथक से समाचार फॉर्मों में प्रकाशित नहीं की जाएगी। ई-निविदा संबंधी शेष समस्त कार्यावाही संबंधित जेलों द्वारा की जावेगी।

क्र.	पदनाम	पद की श्रेणी	योग्यता (सालय वेतनमान अनुसार)	नि:शुक्रजन के लिए आरक्षित रिक्तियों पर प्रदर्श एवं श्रेणीवार विवरण	निर्धारित योग्यता	वाक-इन-इष्टतम हेतु निर्धारित तिथि	
1.	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	तृतीय श्रेणी (कार्यपालक)	28700-91300	दृष्टिबाधित और कम दृष्टि बहरे और कम सुनने वाले लोकोमोटर डिसेबिलिटी रिसॉर्स समितित है, सैराल पाली, कुष्ठ रोग मुक्त, बौध्मण, एरिड अटैक पीड़ित एवं मस्क्यूल डिस्ट्रन्टी ऑटिज्म, बौद्धिक विद्यांगत, स्पेसिफिक लार्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी और ब्रह्मिकलताएन	02 01 01	द्वितीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में हो) या प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारण करता हो और हिन्दी बोलने पढ़ने एवं लिखने में समर्थ हो	दिनांक 20.01.2025 समय दोपहर 12.00 बजे साक्षात्कार हेतु अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपर्युक्त होंगे।

जी-21311/50441/2025

जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल

जी-21362/50440/2025

संयुक्त संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल

जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का लक्ष्य अन्त्योदय हो

भोपाल, राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन में अन्त्योदय का लक्ष्य रहे। जनजातियों सुदृढय की सबसे पिछड़ी जनजाति, उममें सबसे पिछड़े परिवार को हितकार्य देने में प्राथमिकता दी जाए।

राज्यपाल श्री पटेल ने जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा में कहा कि प्रथमर्णी की पहल जन्मन कार्यक्रम जनजातियों सुदृढयकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अमूर्तपूर्व प्रयास है। जनजातियों परिवार को विकास की मुखधारा में जोड़ने का दुर्लभ अवसर है। आवश्यकता संवेदनशीलता के साथ लक्ष्य बनाकर समर्पित भाव से कार्य करने की है। उन्होंने कहा कि जनम के तहत नवी कार्ययोग्यता के कार्य समय पर पूरे हों और उनकी गुणवत्ता अकृष्ट हो। उन्होंने सिकल सेल के संबंध में चर्चा के दौरान कन्या छात्रावास के रक परीक्षण में 78 प्रतिशत लड़कियों में रक अपनाना मिलने की जानकारी देते हुए छात्रावासों में पौष्टिक भोजन के अनुसार मेन्सू रीगर करने की जरूरत बताई। उन्होंने जनम के तहत संचालित मोडर्नाइज मेडिकल सेन में सिकल सेल जांच और सिकल सेल अधीषियों के विवरण की व्यवस्था किए जाने के लिए कहा है। जनजातीय विकासशरणों के सामुदायिक स्वस्थय केंद्र के परिसर में जन अधीष केन्द्र खोलने और केन्द्र-केन्द्र की यात्रा पूरी करने वाले जनजातीय युवाओं को मनुक करने के लिए कहा है।

राज्यपाल श्री परासुपान एवं डेयरी विभाग की समीक्षा
राज्यपाल श्री पटेल ने परासुपान एवं डेयरी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री दुभास परासु प्रदाय योजना क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य पी.सी.टी.जी. जनजातियों को सतत आर्थिकता उपलब्ध कराना है। जरूरी है कि योजना में अति गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। योजना राज्य सरकार के कार्यक्रम के रूप में पृथक से ही संचालित की जाए।

राज्यपाल द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा
राज्यपाल श्री पटेल ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा में जनजाति प्रतिभाओं के टैलेंट पूल के ऑन एवं ऑफ लाइन समेलनों के आयोजनों की जरूरत बताई है। जनजाति कल्याण योजनाओं केन्द्र सरकार के पोर्टल के साथ विभाग को संभद्ध होने के लिए कहा है, जिससे योजनाओं के दोहरे लाभ की सम्भ्या उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा कि जनजातियां आबादी के मान से विभागों बजट के प्रावधान के संबंध में विचार किया जाना चाहिए।

विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार सुनिश्चिद्ध

भोपाल, उप मुख्यमंत्री श्री राजेश शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय है। परीक्षाओं का आयोजन सुविधोचित और निष्पक्ष प्रक्रिया के अंतर्गत किया जा रहा है ताकि छात्रों को उनकी मेहनत का सही परिणाम मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थी परीक्षाओं का आयोजन और समय से परिणाम जारी किये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि मई-2024 से सितंबर-2024 के बीच आयोजित परीक्षाओं में बैच 2019-20, 20-21 और 21-22 के कुल 47,945 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें B.Sc. नर्सिंग बॉर्ड इंटर परीक्षा (मई-2024) में 8,293 विद्यार्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 86.2 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे। इसी तरह, B.Sc. नर्सिंग फर्स्ट इंटर परीक्षा (मई-2024) में 15,787 विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 74.7 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। P.B.B.Sc. नर्सिंग फर्स्ट इंटर परीक्षा (मई-2024) में 4,601 विद्यार्थी उपस्थित हुए, जिनमें 65.3 प्रतिशत सफलता दर रही। इसके अलावा, M.Sc. नर्सिंग फर्स्ट इंटर परीक्षा (मई-2024) में 1,612 विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 80.4 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। सितंबर 2024 में बैच 21-22 के भी एस्सीटी, नर्सिंग फर्स्ट इंटर के 13 हजार 106, पीसीबीएनसी नर्सिंग फर्स्ट इंटर में 2 हजार 980, और एएमएससी नर्सिंग फर्स्ट इंटर में 1 हजार 66 विद्यार्थी परीक्षाओं में शामिल हुए।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरान्त सही पाए जाने पर 06 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की यात्रा होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-02 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/दस्तावेज परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकल्पों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिन्हें अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुरू के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 29.01.2025 के पश्चात कार्यालयीन दिवस/समय प्रायः 10.00 से सायं 06.00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुरू की गण्य राशि एम.पी.टी.सी. के माध्यम से आयोग की वेबसाइट साक्षात् जमा करने के पश्चात अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)	दिनांक 30.01.2025 से 05.02.2025 तक
02.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	दिनांक 06.02.2025 से 12.02.2025 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुरू के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप :-

- सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्राथमिक है। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) परीक्षा-2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- न्यायालयीन प्रकल्पों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चर्चा गई बाधित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- साक्षात्कार हेतु प्राथमिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विद्युद्ध एवं जनगणनादारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी में विलोपित किए गए पत्रों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् दोनों प्रश्न पत्रों के लिए न्यूनतम उतीर्णता की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक व्यवहार है।
- अभ्यर्थियों को निर्दिष्टत किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 29.01.2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेडिसेडी एरिया, इंदौर
अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (चित्रकला) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवरय लिखें।
जी-21483/50464/2025
उप परीक्षा निबंधक

जॉब अलर्ट



उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

पद का नाम - जूनियर असिस्टेंट

पदों की संख्या - 2702

योग्यता - माध्यमिक शिक्षा परिषद उच्च प्रवेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम्प्यूटर प्रचालन कोर्स किया हो एवं हिन्दी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य।

अंतिम तिथि - 22 जनवरी, 2025

वेबसाइट - <https://upsssc.gov.in>

भारतीय वायुसेना

पद का नाम - अभिवीर वायु (नॉन कॉन्वर्टेंट)

पदों की संख्या - उल्लेखित नहीं

योग्यता - मैट्रिकुलेशन या अन्य समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण हो तथा 21 वर्ष से कम आयु हो।

अंतिम तिथि - 27 जनवरी, 2025

वेब - <https://agnipathvayu.cdac.in>

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल

पद का नाम - एसोसिएट सीनियर टेक्निकल इंटरक्टर, एसोसिएट सीनियर डिजाइन इंटरक्टर, डिजाइन इंटरक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), असिस्टेंट इंजीनियर (आईटी), सुरवाहवार (इलेक्ट्रिकल/सिस्कीटी), टेक्निकल असिस्टेंट।

पदों की संख्या - 12

योग्यता - पदनुसार

अंतिम तिथि - 20 जनवरी, 2025

वेबसाइट - <https://nidmp.ac.in>

विहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग

पद का नाम - सहायक उप निरीक्षक (स्टेनो)

पदों की संख्या - 305

योग्यता - एग्जामिनेट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही कम्प्यूटर संचालन में मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

अंतिम तिथि - 17 जनवरी, 2025

वेब - <https://bpscc.bihar.gov.in>

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल

पद का नाम - हेड कॉन्स्टेबल (मोटर वैकेनिकल), कॉन्स्टेबल (मोटर वैकेनिकल)

पदों की संख्या - 51

योग्यता - हेड कॉन्स्टेबल पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से बाइवर्षी कक्षा उत्तीर्ण तथा कॉन्स्टेबल पद के लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर वैकेनिकल में प्रमाण-पत्र हासिल किया हो।

अंतिम तिथि - 22 जनवरी, 2025

वेब - <https://recruitment.itbpolice.nic.in>

यूको बैंक

पद का नाम - इकोनोमिस्ट, फायर सेफ्टी ऑफिसर, सिस्कीटी ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट

पदों की संख्या - 68

योग्यता - पदनुसार

अंतिम तिथि - 16 जनवरी, 2025

वेब - <https://www.ucobank.com>

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

पद का नाम - जूनियर इंजीनियर-I, जूनियर केमिस्ट और टेक्नीशियन-III/ऑपरेटर-III/प्लॉट अटेंडेंट

पदों की संख्या - 487

योग्यता - पदनुसार

अंतिम तिथि - सम्पूर्ण जनवरी माह

वेब - <https://energy.rajasthan.gov.in>

इलेक्ट्रॉनिकी तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग महानिदेशालय

पद का नाम - इलेक्ट्रिशियन, दूरसंचार मैकेनिक, अच-रिज मैकेनिक, फ्रॉमोसिस्ट, अउर थ्रेफी लिफिक, फायरेमैन, फायर इनन ड्राइवर, वाहन मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, ट्रेड्समैन मेट, लोडिंग, टिन और तांबा सिस्मिन्, स्टोकीपर, अपथोलॉजिस्ट, नार्स, मरिचियर, बोटिंग, इंजीनियर उपकरण मैकेनिक, स्टेनोग्राफर ग्रेड-II, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-II, घोषी, बहुकक्षा ट्राफ

पदों की संख्या - 623

योग्यता - पदनुसार

अंतिम तिथि - 18 जनवरी, 2025

वेबसाइट - <https://cbcindia.gov.in>

म.प्र. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पद का नाम - सीनियर सुरवाहवार/ऑपरेटर, सुरवाहवार/ऑपरेटर, सीनियर सुरवाहवार/सुरवाहवार सिस्कीटी

पदों की संख्या - 26

योग्यता - स्नातक डिग्री या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या अन्य समकक्ष डिग्री साथ में डॉक्टरेट अनुभव

अंतिम तिथि - 17 जनवरी, 2025

वेब - <https://www.mpmetrorail.com>

संजय गांधी स्नातकोत्तर आधुनिकीयन संस्थान

पद का नाम - प्रोफेसर, एडिजिनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर

पदों की संख्या - 84

योग्यता - राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से चिकित्सा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री तथा अन्य योग्यताएं

अंतिम तिथि - 20 जनवरी, 2025

वेब - <https://www.sggpms.org.in>

नेपा लिमिटेड

पद का नाम - महाप्रबंधक (विपणन), वरिष्ठ प्रबंधक (प्रचालन), वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत एवं लेखा), सहायक प्रबंधक (आईटी), सहायक प्रबंधक (इन्फ्रस्ट्रक्चर), पहली प्रगती (पैपर मशीन), अधिकारी (सिविल), प्रगती प्रगती (डि-जिनिंग प्लांट), संपर्क अधिकारी एवं सुरवाहवार (कंपनी सचिव कार्यालय)

पदों की संख्या - 10

योग्यता - पदनुसार

अंतिम तिथि - 18 जनवरी, 2025

वेब - <https://www.nepamills.co.in>

स्कॉलरशिप अलर्ट

पीआरओएमवाईएस इंडिया स्कॉलरशिप 2025

संस्थान का नाम - प्रोग्राम इन मैथेमेटिक्स फॉर यंग साइंटिस्ट इंडिया

योग्यता - आवेदक की आयु कम से कम 15 वर्ष हो तथा शासकीय या निज पोषित या सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में नामांकित होना चाहिए।

छात्रवृत्ति राशि - चयनित विद्यार्थी को पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें ट्यूशन फीस के साथ अन्य लाभ शामिल हैं।

अंतिम तिथि - 15 जनवरी, 2025

वेब - <https://promys-india.org>

(स्रोत - संचयकीय टीम द्वारा संकलित)



मध्यप्रदेश विविधता से समृद्ध है। प्रदेश के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता, क्षमता और दक्षता है। यहां का 'प्रत्येक जिला अपना इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, उमज और अन्य क्षेत्रीय विशेषताएं लिए हुए है। 'रोज़गार और निर्माण' के 'हमारा जिला' स्तम्भ में हम मध्यप्रदेश के जिले से आपको परिचित करवाते हैं। इस अंक में प्रस्तुत है जबलपुर जिले का परिचय-

जबलपुर में जिले का मुख्यालय है। ऐतिहासिक रूप से यह गोंड राजवंशों का केंद्र रहा है जबलपुर शहर मध्यप्रदेश की संस्कृतिधानी है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में निचली पहाड़ियों से घिरे चट्टानी बेसिन में झीलों और मंदिरों के बीच स्थित है। यहां उच्च-न्यायालय है। जिले में संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की लंबी परम्परा रही है। जबलपुर कई लेखकों और कलाकारों का क्षेत्र रहा है। प्राचीन मान्यता अनुसार जबलपुर का संबंध जवाबलि रूपि से है। यह जवाबलि रूपि की तपो भूमि रही है। वर्ष 1781 के बाद यह मराठों का मुख्यालय रहा है। बाद में सागर और नर्मदा क्षेत्रों के ब्रिटिश कमीशन का मुख्यालय बन गया। यहां 1864 में नगपालिका का गठन हुआ था।

भेड़ाघाट, खारोघाट और जबलपुर से जो जीवावर प्राप्त हुए हैं। इससे यह संकेत मिलते हैं कि यहां प्रागैतिहासिक काल के पुराणायन युग के मनुष्य का निवास स्थान था। मदन महल, नगर में स्थित कई ताल और गोंड राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर यहां की प्राचीन समृद्ध संस्कृति और निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। इस क्षेत्र में कई बौद्ध, हिन्दू और जैन मंदिरों के भनावशेष भी हैं।

उत्पादन

गेहूँ - यहां गेहूँ की अन्य किस्मों के साथ शरवती गेहूँ का उत्पादन भी किया जाता है।

धान - धान जबलपुर में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख खरीफ फसल में से एक है। यहां के चावल के विभिन्न प्रकार एक.ए.ए.टी., पूसा सुधन्दा, क्रांति, मगमाया आदि हैं।

हरा मटर - हरा मटर जबलपुर की लोकप्रिय सब्जी और प्रमुख लीफ फसल है। मटर पौधिका भी होते हैं और इसमें उचित मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हरा मटर या 'पापन' अर्थात्, छोटे, गोलाकार बीज होते हैं। मटर सेकड़ों वर्षों से हमारे आहार का हिस्सा है।

देरी शंका - चना यहां की बहुतायत में होने वाली रबी फसल है। इससे चने की दाल बनती है और फिर बेसन का उत्पादन होता है। यह दाल प्रोटीन का एक सख्त और सस्ता स्रोत है, इसमें 17-20 प्रतिशत तक प्रोटीन रहता है।

प्रमुख स्थल

भेड़ाघाट-जबलपुर का भेड़ाघाट और संगमरमरी चट्टान एक दूसरे के पर्याय हैं।



जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित धुआंधार जलप्रपात मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस प्रपात की छटा अनुभव है। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है। यह सुरुय प्रपात प्रसिद्ध संगमरमरी चट्टानों से निकलता है। यहां जब बड़ी धारा गिरती है तो पानी के गिरने की आवाज काफी दूर से सुनाई देती है। इस प्रपात के गिरने से उस स्थान पर कुबूसा या धुआं सा बन जाता है। इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात रमणीय स्थल है। वर्ष भर यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जलप्रपात के सामने खुला स्थान है। लोग यहां पिकनिक मनाने आते हैं।

हमारा जिला-जबलपुर

सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की नगरी संस्कारधानी

संगमरमरी चट्टान नर्मदा नदी के दोनों ओर करीब 100 फीट ऊंची है। भेड़ाघाट का वातावरण भी बहुत शांत है। जब सूख की रोशनी संकेत और मट्टले रंग के संगमरमरी की चट्टान पर पड़ती है, तो नदी में बने वाला इसका प्रतिबिंब अद्भुत होता है। भेड़ाघाट और यहां की संगमरमरी चट्टान की सुन्दरता उस समय चम पर होती है जब चांद की रोशनी चट्टान और नदी पर एक साथ पड़ती हो। ऐसे समय में बोटिंग करना अद्भुत अनुभव है।

नर्मदा नदी पर बरगी बांध - जबलपुर का बरगी बांध नर्मदा नदी पर बने 30 बांधों में एक है। इस बांध का महत्व अत्यंत ही बढ़ जात है क्योंकि जब जबलपुर और आस-पास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। बरगी डाइवर्स प्रोजेक्ट और नवीं असीटीबाई लोधी योग प्रोजेक्ट इस बांध पर विकास की गईं दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। बरगी बांध जबलपुर के एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। सखन में कई बौद्ध, हिन्दू और जैन मंदिरों के भनावशेष भी हैं।

नर्मदा जयंती - नर्मदा जयंती माघ महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को प्रारंभ में मनाई जाती है। इस दिन बहक नर्मदा नदी की पूजा करते हैं। सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा जयंती के अवसर पर यहां लोगों का मेला लगता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान, हजारों भक्त शहर के विभिन्न घाटों पर भजन और गणेश के गीत गाते हैं। शायद को नर्मदा जी के घाट पर नर्मदा की आस्था कोती जाती है।

कचनार सिटी शिव मंदिर - कचनार सिटी में ऊंची शिव प्रतिमा है, इस मूर्ति की



ऊंचाई 76 फीट है। यह एक गुफा के ऊपर स्थापित है। इस गुफा में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि देश के भिन्न-भिन्न भागों से के स्थल से लाये गए हैं।

मदन महल किला - जबलपुर का मदन महल किला। वी शताब्दी ईस्वी के शासकों की विशेषता का साक्ष्य है। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित मदन महल किला राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। किला नवी दुर्गावती की आभा और उनके पूर्व सुसज्जित प्रशासन



हनुमान जन्मोत्सव - हनुमान जन्मोत्सव भगवान श्रीराम के जन्म के हनुमान जी के प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। सुबह से ही शहर तथा ग्रामीण अंचल के हनुमान मंदिरों में पूजा-अर्चना शुरू हो जाती है। जगह-जगह भंडारे होते हैं। जगह-जगह शोभायात्रा निकाली जाती है। शहर के उपमहान हनुमान मंदिर खारोघाट, पाटवाबा, रानीलाल गेट नंबर 2 के समीप विराजे हनुमान मंदिर सहित सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की हनुमान जी के दर्शन के लिए लाइन लग जाती है।

और सेना के बारे में बताता है। शाही परिवार के मुख्य कक्ष, वॉर रूम, छोटे जलाशय आदि प्रमुख हैं। यह किला उस युग के लोगों के जीवन की यात्रा को प्रस्तुत करता है। मदन महल किला प्राचीन स्मारकों में से एक है।

डुमना नेचर रिजर्व बांध - डुमना नेचर रिजर्व बांध जबलपुर जिले में स्थित है। यह खुली इको टूरिज्म साइट है। इसमें 1058 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बांध, नर और नर-जय शायल में चित्त, गंगली सुअर, साही, सियार और कई प्रजातियों के पक्षी सहित जंगली जानवर पाए जाते हैं। पार्क के भीतर और आसपास तेंदुओं की साइटिंग भी है। यहां बच्चों के पार्क और एक रेस्तरां उपलब्ध है। पार्क के खंडारी डैम में टैट प्लेफार्म, रेस्ट हाउस, फिशिंग प्लेफार्म, ट्रेन ट्रेन और बोटिंग आदि अन्य आकर्षण हैं। गणपतेश्वरी की उत्पत्ति के कारण स्थान तथा शैली सहित पानी में गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।

नर्मदा जयंती - नर्मदा जयंती माघ महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को प्रारंभ में मनाई जाती है। इस दिन बहक नर्मदा नदी की पूजा करते हैं। सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा जयंती के अवसर पर यहां लोगों का मेला लगता है। शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान, हजारों भक्त शहर के विभिन्न घाटों पर भजन और गणेश के गीत गाते हैं। शायद को नर्मदा जी के घाट पर नर्मदा की आस्था कोती जाती है।

बैलेंसिंग रॉक - जबलपुर प्राकृतिक चमत्कार बैलेंसिंग रॉक के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटक स्थल मदन महल किले के आधार पर, देओलाल में शैलपात्र नामक स्थान पर स्थित है। बैलेंसिंग रॉक रिसर्कोटिज जलाशय की संरचनाओं का उदाहरण है। चट्टान केवल थोड़ा सा सर्फा कटके विशाल आधार चट्टान पर संतुलन बनाती है। यहां 6.5 की तीव्रता के भूकंप में भी बैलेंसिंग रॉक बचा रहा। कहा जाता है कि इस चट्टान को अस्तित्वित करना असंभव है।

हनुमान जन्मोत्सव - हनुमान जन्मोत्सव भगवान श्रीराम के जन्म के हनुमान जी के प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। सुबह से ही शहर तथा ग्रामीण अंचल के हनुमान मंदिरों में पूजा-अर्चना शुरू हो जाती है। जगह-जगह भंडारे होते हैं। जगह-जगह शोभायात्रा निकाली जाती है। शहर के उपमहान हनुमान मंदिर खारोघाट, पाटवाबा, रानीलाल गेट नंबर 2 के समीप विराजे हनुमान मंदिर सहित सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की हनुमान जी के दर्शन के लिए लाइन लग जाती है।

देवेन्द्र गोर (लेखक, सम-सामयिक विषयों पर लेखन करते हैं)



भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने बहादुर सिंह

नई दिल्ली, एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता और गोला फेंक के पूर्व खिलाड़ी बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) का निवर्तमान अध्यक्ष चुना गया। वह पहले समय से शीर्ष पद पर कार्यरत आदित्य सुमरियावाला की जगह लेगे। ब्राज़ण एशियाई खेल-2002 में गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने तथा वर्ष 2000 और 2004 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले 51 वर्षीय सागू को चार वर्ष के लिए इस पद पर चुना गया है। वह एएफआई एथलेटिक आयोग के सदस्य भी हैं। निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजू बांगी जॉर्ज के अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो जाने के बाद सागू मैदान में एकमात्र उम्मीदवार बचे थे। एएफआई की दो दिवसीय वार्षिक आम बैठक में उनके चुनाव को औपचारिक रूप दिया गया। दिल्ली इकाई के शीर्ष प्रशासिकारी संदीप मेहता को एएफआई सचिव चुना गया।

स्टेट क्रिकेट में बड़े बदलाव की तैयारी आईसीसी बनायेगा टू टीयर सिस्टम

दुबई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) स्टेट क्रिकेट में बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है। आईसीसी ने स्टेट टीमों को दो डिवीजन में बांटने की योजना बनाई है। एक डिवीजन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों होंगी, वहीं दूसरे डिवीजन में कमजोर टीमों को रखा जाएगा। आईसीसी की योजना है कि बड़ी टीमों में आपस में ज्यादा सीरीज खेलें। इस योजना को लागू करने के लिए बातचीत की जा रही है।

एक रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी के अध्यक्ष शव शाह इस संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर बातचीत करेंगे कि ये तीनों बड़े देश ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ स्टेट क्रिकेट खेलें। इससे इन टीमों के बीच हर तीन वर्ष में 3-5 स्टेट मैचों की दो सीरीज चला जाएंगी। अभी इनकी आपस में दो सीरीज 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित होती हैं। जब शाह इस संबंध में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन माइक बैर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख रिचर्ड ब्रायनस के साथ एक बैठक कर सकते हैं। इस बैठक के एजेंडे में 2 टीयर सिस्टम का मुद्दा शामिल है।



- आईसीसी ने स्टेट क्रिकेट में प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए वर्ष 2019 में शुरू की थी आईसीसी टैटल चैम्पियनशिप।
- इस चैम्पियनशिप में टॉप 9 स्टेट टीमों में आपस में करती हैं प्रतियोगिता
- आईसीसी के 2 टीयर स्टेट क्रिकेट से स्टेट चैम्पियनशिप की प्रारंभिकता हो सकती है खतरा।

वर्ष 2016 में आया था कॉन्सेप्ट
स्टेट क्रिकेट में 2 टीयर सिस्टम लाने का कॉन्सेप्ट वर्ष 2016 में पेश किया गया था। हालांकि, तब इसे कई देशों के विरोध के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विरोध करने वाले देशों का तर्क है कि इससे उनकी टीमों को बड़ी टीमों के खिलाफ स्टेट मैच खेलने के मौके कम मिलेंगे। साथ ही दर्शकों को रोमांचक प्रतियोगिता भी कम हो सकेगी।


मिल सकेगी।
लॉयड ने किया कॉन्सेप्ट का विरोध
वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर और पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड ने आईसीसी के 2 टीयर स्टेट क्रिकेट का विरोध किया है। लॉयड ने कहा कि यह कॉन्सेप्ट वेस्टइंडीज और उन देशों के लिए बहुत हानिकारक होगा, जिन्होंने स्टेट क्रिकेट खेलने का दवाँ पाने के लिए कड़ी मेहनत की है।

फ्रांस के एलेक्जेंडर मुलर ने जीता हांगकांग ओपन

हांगकांग, फ्रांस के युवा टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर मुलर ने हांगकांग ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में मुलर ने जापान के केई निशिकोरी को 2-6, 6-1, 6-3 से मात दी। हांगकांग ओपन के फाइनल मैच में मुलर की शुरुआत खराब रही। पहले सेट में निशिकोरी ने मुलर को 6-2 से हराया। इसके बाद दूसरे सेट में मुलर ने अपने दमदार खेल से वापसी की और 6-1 से सेट जीत लिया। तीसरे सेट में भी मुलर का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने लगातार अंत बटोरकर निशिकोरी को दबाव में ला दिया।

अनाहत सिंह ने जीता ब्रिटिश जूनियर ओपन स्वर्चांश टूर्नामेंट

बर्मिंघम, भारत की युवा स्वर्चांश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय अनाहत सिंह ने इंग्लैंड में आयोजित हुई ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर-17 चैम्पियनशिप जीत ली है। टूर्नामेंट में जूनियर ओपन अंडर-17 खिताब के फाइनल में अनाहत ने मिश्र की मलिका अल काराव्सी को हराकर खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में अनाहत की शुरुआत सीपी रही। वह एक समय अपनी प्रतिद्वंद्वी मलिका अल काराव्सी से पिछड़ गई थीं, लेकिन उन्होंने जोरदार वापसी की और 4-11, 11-9, 6-11, 11-5, 11-3 से युवा खिलाड़ियों को हराकर स्वर्चांश पद जीता। इससे पहले इतिहास रच चुकी थीं और 4-11, 11-6, 11-8, 11-6 से हराया था।



अंडर-11 टाइटल अपने नाम किया था। इसके बाद वर्ष 2023 में 14 साल की उम्र में उन्होंने अंडर-15 का खिताब भी जीता था, तब खिताब मुकाबले में उनका सामना इब्रिच की सोरेला हाबने से हुआ था।

- ब्रिटिश जूनियर स्वर्चांश ओपन टूर्नामेंट में तीन खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं अनाहत सिंह।
- अनाहत ने इससे पहले इस टूर्नामेंट का अंडर-11 और अंडर-15 वर्ग का खिताब जीता है।

आर्यना सबालेंका ने जीता ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस खिताब

ब्रिस्बेन, विश्व नंबर वन महिला टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने वर्ष 2025 की शुरुआत खिताबी जीत के साथ की और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट के फाइनल में सबालेंका ने रूस की पोलिना कुकुरेतोवा को तीन सेट तक बने संपूर्ण मुकाबले में 4-6, 6-3, 6-2 से हराया।

फाइनल मुकाबले के पहले सेट में सबालेंका ने कुकुरेतोवा के खिलाफ धीमी शुरुआत की। उन्होंने दो बार सर्विस गंवाकर पहला सेट 4-6 से गंवा दिया। हालांकि दूसरे सेट में सबालेंका ने जबदस्त वापसी की और तेज ग्राउंड स्ट्रोक से अपना दबदबा बनाते हुए 6-3 से सेट जीत लिया। इसके

बाद तीसरे और अंतिम सेट में भी सबालेंका ने शानदार खेल दिखाया और कुकुरेतोवा को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

पुरुष वर्ग में लेहका बने चैम्पियन
टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब चेक गणराज्य के जीरी लेहका ने जीता। लेहका ने फाइनल मुकाबले में रीली ओपेलका को हराया। मुकाबले में लेहका जब 4-1 की बढ़त पर थे। उन दौरान अमेरिकी रीली ओपेलका ने कलाई में चोट के चलते मुकाबला छोड़ दिया। इस वजह से लेहका को वॉक ओवर मिल गया। ओपेलका का 2022 में कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने हाल ही में टेनिस कोर्ट पर वापसी की है।

टीम फेरारी के साथ जुड़े पूर्व चैम्पियन हैमिल्टन

लंदन, ब्रिटेन के दिग्गज फॉर्मूला-वन रेसर लुईस हैमिल्टन अब इटली की रेसिंग टीम फेरारी के लिए रेसिंग करते हुए नजर आयेगे। इससे पहले हैमिल्टन मर्सिडीज के साथ जुड़े थे। उन्होंने मर्सिडीज के साथ वर्ष 2013 में करार किया था जो 12 वर्ष बाद वर्ष 2024 में समाप्त हो गया। मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हुए हैमिल्टन छह बार फॉर्मूला-वन विश्व चैम्पियन बने हैं।

यूनाइटेड कप

उल्लेखनीय है कि इसी चैम्पियनशिप में अनाहत सिंह पहले अंडर-15 और अंडर-11 टाइटल भी अपने नाम कर चुकी है। वर्ष 2019 में उन्होंने ब्रिटिश जूनियर ओपन का

करुण नायर ने क्रिकेट ए क्रिकेट में बनाया विश्व रिकॉर्ड

नागपुर, भारतीय क्रिकेट कर्ण नायर ने रिस्ट ए (प्लेयू बन-डे) क्रिकेट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। करुण रिस्ट ए क्रिकेट में बिना आउट हुए सदस्य ज्यादा न बनाये जाने बल्लेबाज बन गए हैं। करुण नायर ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में खेले गए 5 मैचों में 542 न बनाए हैं। उन्होंने इन मैचों में बिना आउट हुए 4 शतक बनाए हैं। वह आंध्रप्रदेश के खिलाफ विजयनगर में खेले गए मैच में 112 न बनाकर आउट हुए। इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के जेम्स फ्रेंकलिन के नाम था। फ्रेंकलिन ने वर्ष 2010 में रिस्ट ए क्रिकेट में बिना आउट हुए 527 न बनाए थे।

एशियन यूथ गेम्स मेडल इवेंट में शक्तिम होगा ई-स्पोर्ट्स खेल

नई दिल्ली, ई-स्पोर्ट्स को अब खेलों का दर्जा मिलने लगा है। ई-स्पोर्ट्स को एशियन यूथ गेम्स में पहली बार शामिल किया जा रहा है। यह जानकारी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) ने दी है। ओसीए ने ऐलान किया कि इस वर्ष बहरैन में आयोजित होने वाले एशियन यूथ गेम्स में ई-स्पोर्ट्स एक मेडल इवेंट होगा।

ओसीए ने बताया कि एशियन यूथ गेम्स-2025 में 45 देशों के 14 से 17 आयुवर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस खेल आयोजन में 21 खेलों में खिलाड़ी पदक की दवेदारी करेंगे। पहले एशियन यूथ गेम्स में 20 खेल ही शामिल होते थे, लेकिन इस बार ई-स्पोर्ट्स को अब खेल के रूप में शामिल को हक कर दिया गया था।



- बहरैन में 22 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा एशियन यूथ गेम्स।
- इससे पहले वर्ष 2009 में सिंगापुर और वर्ष 2013 में नानजिंग (चीन) में आयोजित हुए हैं एशियन यूथ गेम्स।
- वर्ष 2017 और 2021 में इन खेलों को हक कर दिया गया था।

अमेरिका ने जीता खिताब

सिडनी, अमेरिका ने मिश्रित टीम टेनिस टूर्नामेंट यूनाइटेड कप का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल में अमेरिका ने पोलैंड को 2-0 से हराया। फाइनल राउंड के पहले एकल मैच में अमेरिका की कोको गॉफ ने पूर्व विश्व नंबर वन टेनिस खिलाड़ी इंगा स्विटेक को 6-4, 6-4 से हराया। मैच में स्विटेक पर गॉफ पूरी तरह भारी नजर आई। पहले सेट में गॉफ ने आसानी से जीत दर्ज की। दूसरे सेट में स्विटेक ने वापसी करने की कोशिश की लेकिन गॉफ ने अपने दमदार खेल से दूसरा सेट भी 6-4 से जीत लिया। कोको गॉफ ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार खेल दिखाया। उन्होंने अपने सारे मैच बिना सेट गायब जीते हैं।

यूनाइटेड कप

वहीं दूसरे एकल मुकाबले में टैटर प्रशस्त होसा।

- अमेरिका ने दूसरी बार जीता है यूनाइटेड कप।
- इससे पहले अमेरिका वर्ष 2023 में बना था विजेता।
- वर्ष 2024 में जर्मनी बना था चैम्पियन।

फ्रिंज्ड ने कड़े मुकाबले में हुबर्ट हुकाज को 6-4, 5-7, 7-6 (7-4) से हराया। मैच में पहला सेट टैटर फ्रिंज्ड ने आसानी से जीत लिया, लेकिन दूसरे सेट में हुकाज ने वापसी की और 7-5 से जीत दर्ज की। तीसरा सेट निर्णायक रहा। इस सेट का फैसला टाइब्रेकर से हुआ, जिसमें हुकाज को विजय प्राप्त की।

(स्रो: संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो: गूगल से साधित)



सामयिकी

प्रधानमंत्री ने देश को सौंपा जीनोम इंडिया डाटा

केंद्र सरकार ने जनवरी, 2020 में भारतीयों की अनुवांशिक जांच प पहचान के लिए जीनोम कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत अलग-अलग राज्यों में 20 संस्थानों का चयन किया गया। इन संस्थानों ने देश से कुल 83 जनसंख्या समूहों की जानकारी जुटाई। बीस हजार से ज्यादा नमूने एकत्रित कर दस हजार जीनोम का बायो बैंक बनाया। इससे भारत में बीमारियों की भविष्यवाणी आसान होगी। भारतीयों के इन जीनोम संग्रह को केंद्र सरकार ने जीनोम इंडिया डाटा का नाम दिया है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल मोड पर जीनोमिक्स डाटा कॉन्फ्लेक्स में सार्वजनिक किया।

कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा

कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उनकी 10 साल पुरानी सत्ता का अंत हो गया। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे से पहले एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। ट्रूडो के अलावा वित्त मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में कनाडा की राजनीति में अस्थिरता बढ़ने के संकेत हैं। कनाडा सरकार के एक अधिकारी ने कहा, सत्ताप्राप्ति लिबरल पार्टी में अगले नेता का चुनाव होने तक ट्रूडो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि देश की संसद का सब 27 जनवरी से प्रस्तावित था।

इसरो ने उपग्रह 'डॉकिंग' प्रयोग को फ़िरा टाला

इसरो ने दो उपग्रहों को जोड़ने से संबंधित अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग (स्पेडक्स) को स्थगित कर दिया। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान कुछ खामियों के कारण फ़ैसला किया गया। इसरो ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, उपग्रहों के बीच 225 मीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए अपेक्षाओं से कुछ खामी देखा गई। जिसके कारण पूर्व निर्मात डॉकिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। उपग्रह सुरक्षित है। ज्ञात रहे कि यह दूसरी बार है जब इसरो ने स्पेडक्स प्रयोग को टालने का निर्णय किया है। इससे पहले यह प्रयोग जनवरी के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अब नौ जनवरी के प्रयोग को भी स्थगित कर दिया है।

अमेरिकी संसद में भारतवंशी सांसदों का दबदबा, 6 सांसदों ने एक साथ ली शपथ

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में छह भारतीय-अमेरिकी नेताओं ने शपथ ली। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतवंशी नेताओं को निम्नलिखित सदस्य (प्रतिनिधि सभा) में जगह मिली। इनमें डॉ. एमपी बोर, सुहास सुब्रमण्यन, श्री बानेदार, रो खन्ना, राजा कुण्जमूर्ति और प्रमिला जयपाल शामिल हैं। सांसद डॉ. एमपी बोर ने 'एक्स' पर सभी छह भारतीय-अमेरिकी सांसदों की एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने कहा, उम्मीद है आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी।

प्रतिनिधि सभा के सदस्य के तौर पर सुहास सुब्रमण्यन ने पहली बार शपथ ली। सुब्रमण्यन ने हाउस स्पीकर माइक जोनसन के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, काम का पहला दिन। खन्ना, कुण्जमूर्ति एवं जयपाल तीनों ने लगातार पांचवीं बार शपथ ली है।

प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है - प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ़ेरेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ़ेरेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने नए जम्मू रेलवे डिब्बाघर का उद्घाटन, पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे मंडल भवन की आधारशिला और तेलंगाना में चरलापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 के आरंभ में ही भारत ने अपने मेट्रो रेल नेटवर्क को एक हजार किलोमीटर से अधिक तक विस्तारित करने के साथ अपनी पहलू को गति दे दी है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इस बात को प्रमाणित करता है कि पूरा देश एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और जम्मू-

कश्मीर, ओडिशा और तेलंगाना में आंध्र की गई रेल परियोजनाएँ रेल के उत्तर, पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों के लिए आधुनिक आवागमन संपर्क की एक बड़ी उपलब्धि हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का विकास सबसे जरूरी है। पिछले दशक में भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, जिससे देश की छवि बदली है और नगरिकों का मनोबल काफी बढ़ा है।

देश का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल संबंधित विशेष कोशल को ध्यान में रखते हुए देश का पहला गति-शक्ति विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के साथ ही नए रेल मंडल और मूल्यांकन स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लेह-ल्हाङ्ग जैसे क्षेत्रों को मिल रहा है।



चार मापदंडों पर हो रहा विकास

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे का विकास चार प्रमुख मापदंडों पर किया जा रहा है। पहला, रेलवे के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, दूसरा, यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का प्राधान्य, तीसरा, देश के हर कोने में रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार और चौथा रेलवे के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन और उद्योगों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि नए खंडों

देश का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित

प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल संबंधित विशेष कोशल को ध्यान में रखते हुए देश का पहला गति-शक्ति विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के साथ ही नए रेल मंडल और मूल्यांकन स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लेह-ल्हाङ्ग जैसे क्षेत्रों को मिल रहा है।

- भारत रेल लाइनों के शत-प्रतिशत के विद्युतीकरण के करीब है।
- देश में 1300 से अधिक अग्रतम स्टेशनों का नवीनीकरण हो रहा है।
- 30 हजार किलोमीटर से अधिक नई रेलवे लाइन विछाड़ी गई हैं।
- ग्रांड जग लाइनों पर सभी मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है।

कैलिफोर्निया में 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा

कैलिफोर्निया में 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की तरफ से पायल कणाडिया की फिल्म आल्टी वी इमेजिन एक लाइट को 2 श्रेणी में नामांकित किया गया था, फिल्म यह अवार्ड जीतने से चूक गई। इसे बेस्ट फिल्म (नॉन इंग्लिश) और बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में नामित किया गया था।

बेस्ट फिल्म कैटेगरी में फ्रांस की फिल्म एमिलिया पेरेज ने अवार्ड जीता। वहीं, बेस्ट डायरेक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड डायरेक्टर ब्रेडी कोबेट को फिल्म व ब्रुटलिटि के लिए मिला। गोल्डन ग्लोब में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामित होने वाली पायल कणाडिया पहली भारतीय फिल्म मेकर है।

बेस्ट फिल्म (नॉन इंग्लिश) कैटेगरी में आल्टी वी इमेजिन एबू लाइफ के अलावा एमिलिया पेरेज, द गर्ल विद द नीडल, आई एम रिटल हेयर, द सीड ऑफ द सीक्रेड फिग एंड वॉर्मलोड जैसी फिल्में भी शामिल थीं।



2020 में थे भारतीय मूल के चार सांसद

ज्ञात रहे कि अमेरिका में वर्ष, 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में चार भारतीय मूल के सांसद चुने गए थे। चारों भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद डॉ. एमपी बोर, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना और राजा कुण्जमूर्ति अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए एक से निर्वाचित हुए थे।

इंडोनेशिया बना ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य

इंडोनेशिया ब्रिक्स देशों के समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्राजील की सरकार ने इसकी घोषणा की। ब्राजील के मंत्रालय ने इंडोनेशिया को इस समूह में शामिल होने पर बधाई दी। ब्राजील, 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक ब्रिक्स का नेतृत्व संभालेगा। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स नेतृत्व ने एक दशिक-पूर्वी एशियाई देशों का भी अपने समूह में स्वागत किया है, इनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, विमनम और थाईलैंड शामिल हैं।

गौरतलब है कि BRIC एक औपचारिक समूह के रूप में 2006 में अस्तित्व में आया था। 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA के सत्र के दौरान BRIC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया



G-20 की तर्ज पर बने BRICS की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। 2024 में पांच नए देश, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात BRICS का हिस्सा बने। 16वीं BRICS शिखर सम्मेलन 2025 में रूस में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता रूस ने की थी।

भारत से असैन्य परमाणु सहयोग बढ़ाएंगे - अमेरिकी एनएसए

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। बाइडेन सरकार के एनएसए ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि जेक सुलिवन से मिलकर खुशी हुई। हम अपने लोगों और वैश्विक कर्माचारियों के लिए दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों में इस गति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गीत से साभार)